



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102020-222829
CG-DL-E-29102020-222829

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 560]
No. 560]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2020/कार्तिक 7, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2020/KARTIKA 7, 1942

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 684(अ).—निम्नलिखित प्रारूप नियमावली, जिसे केंद्र सरकार सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा -

- (i) औद्योगिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1949;
- (ii) औद्योगिक अधिकरण (केंद्रीय प्रक्रिया) नियमावली, 1954;
- (iii) औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) नियमावली, 1957; और
- (iv) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केंद्रीय नियमावली, 1946;

के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए जाने वाले कार्यों को अथवा किए जाने को छोड़कर, निम्न प्रारूप नियमों को एतद्वारा अधिसूचित करती है, जो उक्त धारा 99 की उप-धारा (1) द्वारा इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों को सूचनार्थ है एवं एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस सरकारी राजपत्र जिसमें इस अधिसूचना को प्रकाशित किया गया हो, उसकी प्रतियों को आम जनता के लिए उपलब्ध होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात, विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अवर सचिव श्री संजीव नंदा को कमरा नंबर 17, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001 या ईमेल द्वारा - sanjeev.dom@nic.in प्रेषित किया जा सकता है। आपत्तियों और सुझावों को एक प्रोफार्मा में भेजा जाना चाहिए जिसमें कॉलम (i) में व्यक्ति/संगठन का नाम और पता और निर्दिष्ट करना होगा, कॉलम (ii) में उस नियम या उप-नियम को निर्दिष्ट करना होगा जिसे संशोधित किया जाना है और कॉलम (iii) में संशोधित नियम या उप-नियम को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव और उसके कारण निर्दिष्ट करने होंगे।

उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पहले उक्त मसौदा अधिसूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम**अध्याय-I****प्रारंभिक**

1. संक्षिप्त शीर्षक, आवेदन और प्रारंभ- (i) इन नियमों को औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) नियम, 2020 कहा जाए।

(ii) ये उन केंद्र शासित प्रदेशों, जिनकी औद्योगिक स्थापनों और उनसे संबंधित मामलों के संबंध में अपनी विधायिका है, को छोड़कर पूरे भारत तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पर केंद्र सरकार समुचित सरकार है, विस्तारित होते हैं,

(iii) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

1क. परिभाषा - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "संहिता" का अर्थ है औद्योगिक संबंध संहिता, 2020;

(ख) "धारा" का अर्थ संहिता की धारा है;

(ग) "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" का अर्थ है संहिता के निहितार्थ कोई सूचना जिसे ई-मेल द्वारा प्रस्तुत किया गया हो अथवा जिसे विनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड किया गया हो अथवा किसी भी रूप में डिजिटल भुगतान किया गया हो।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और भाव जो कि परिभाषित नहीं हैं, लेकिन संहिता में परिभाषित हैं, उनके संबंधित अर्थ संहिता में प्रदान किए जाएंगे।

2. खंड 2 के खंड (यज्ञ) के तहत सुलहकर्ता अधिकारी के समक्ष निपटान के लिए लिखित समझौता - नियोक्ता और कामगार के बीच लिखित समझौते के लिए धारा 2 के खंड (यज्ञ) के तहत करार प्रपत्र-I में निर्दिष्ट प्रपत्र में होगा और इस करार में पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और इसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी को भेजी जाएगी।

अध्याय II**द्विपक्षीय मंच**

3. धारा 3 के तहत वर्क्स कमिटी का गठन :- (1) प्रत्येक नियोक्ता, जिसे धारा 3 की उप-धारा (1) के संबंध में आदेश दिया गया है, वह उस तरीके से वर्क्स कमिटी का गठन करने के लिए कार्यवाई करेगा जिस तरह से निम्नलिखित उप-नियमों में निर्दिष्ट किया गया हो: -

(2) समिति का गठन करने वाले सदस्यों की संख्या तय की जाएगी ताकि विभिन्न श्रेणियों, समूहों और कामगारों के वर्ग और श्रेणी, दुकानों या विभागों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके:

बशर्ते कि वर्क्स कमिटी के सदस्यों की कुल संख्या बीस से अधिक न हो:

आगे यह उपबंध किया गया है कि वर्क्स कमिटी में कामगार के प्रतिनिधियों की संख्या नियोक्ता के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी।

(3) इस नियम के प्रावधानों के अधीन, वर्क्स कमिटी में नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा जहां तक संभव हो सके, औद्योगिक प्रतिष्ठान के जिन अधिकारियों के साथ कर्मचारीगण साथ काम कर रहे हों अथवा सीधे संपर्क में हों, नामित किया जाएगा।

(4) (क) जहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान का कोई भी कामगार पंजीकृत ट्रेड यूनियन का सदस्य है, तो नियोक्ता ऐसे ट्रेड यूनियन से उसे लिखित रूप में सूचित करने के लिए कहेगा -

(i) कितने कर्मचारी ऐसे ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं; तथा

(ख) जहां किसी नियोक्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा खंड (क) के तहत उसे दी गई जानकारी गलत है, तो वह इस तरह के ट्रेड यूनियन को सूचित करने के बाद क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) को इस मामले को संदर्भित कर सकता है, जो पक्षों को सुनने के बाद मामले को तय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(5) उप-नियम (4) के तहत मांगी गयी सूचना प्राप्त होने पर, नियोक्ता निम्न दो समूहों में समिति में कामगारों के प्रतिनिधि के चयन के लिए इसे उपलब्ध कराएगा, अर्थात्: -

(क) पंजीकृत ट्रेड यूनियन अपनी सदस्यता के अनुपात में वर्क्स कमिटी के सदस्यों के रूप में अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं।

(ख) जहां कोई पंजीकृत ट्रेड यूनियन नहीं है, कामगार वर्क्स कमिटी के लिए खुद को प्रतिनिधि चुन सकते हैं।

(6) (क) वर्क्स कमिटी में अपने पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और एक संयुक्त सचिव होंगे। सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव हर साल किया जाएगा।

(ख) अध्यक्ष को नियोक्ता द्वारा वर्क्स कमेटी में नियोक्ता के प्रतिनिधियों में से नामित किया जाएगा और वह जहां तक संभव हो, औद्योगिक प्रतिष्ठान का प्रमुख होगा;

(ग) सदस्यों द्वारा कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली वर्क्स कमेटी में उपाध्यक्ष को उनके बीच से ही चुना जाएगा:

बशर्ते कि उपाध्यक्ष के चुनाव में वोटों की समानता की स्थिति में, इस मामले का फैसला ड्रॉ के अनुसार किया जाएगा:

(घ) वर्क्स कमेटी सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव करेगी, बशर्ते कि सचिव को नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों में से चुना जाता है, संयुक्त सचिव को कामगारों के प्रतिनिधियों और विलोमतः चुना जाएगा:

बशर्ते कि सचिव या संयुक्त सचिव के पद पर, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता या कामगार के प्रतिनिधि दो वर्षों तक लगातार नहीं बने रहेंगे:

बशर्ते कि नियोक्ता के प्रतिनिधि सचिव या संयुक्त सचिव के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, जैसा भी मामला हो, कामगार के प्रतिनिधियों के बीच से और केवल कामगार के प्रतिनिधि ऐसे चुनावों में वोट देने के हकदार होंगे।

(ङ) खंड (घ) के तहत किसी भी चुनाव में, वोटों की समानता की स्थिति में, यह मामला ड्रा द्वारा तय किया जाएगा।

(7) (क) एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य के अलावा वर्क्स कमेटी में प्रतिनिधियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा;

(ख) एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया सदस्य अपने पूर्ववर्ती के अपूर्ण कार्यकाल हेतु पद धारण करेगा;

(ग) एक सदस्य, जो वर्क्स कमेटी से अवकाश प्राप्त किए बिना, समिति की तीन लगातार बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

(8) कामगार के प्रतिनिधि को उप-नियम (7) के खंड (ग) के तहत सदस्य होने या उसके इस्तीफे, मृत्यु या अन्यथा की स्थिति में नियोजित किए जाने की स्थिति में, उसका उत्तराधिकारी होना चाहिए। इस नियम के प्रावधानों के अनुसार उसके उत्तराधिकारी को उसी समूह में से चुना जाता है जिससे सीट खाली करने वाला सदस्य संबंधित होता है।

(9) वर्क्स कमेटी को परामर्शदात्री क्षमता में सहयोजन का अधिकार होगा, जो औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्तियों के पास किसी मामले के विशेष या विशिष्ट जानकारी पर चर्चा के तहत होगा। इस तरह के सह-चयनित सदस्य वोट करने के हकदार नहीं होंगे और केवल उस अवधि के लिए बैठकों में उपस्थित होंगे, जिसके दौरान वर्क्स कमेटी के समक्ष विशेष प्रश्न विचाराधीन हों।

(10) (क) वर्क्स कमेटी जितनी बार आवश्यक हो, बैठके बुला सकती है परंतु यह तीन महीनों में कम से कम एक बार से अधिक नहीं होगी

(ख) वर्क्स कमेटी अपनी पहली बैठक में अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगी।

(11) (क) नियोक्ता वर्क्स कमेटी की बैठक आयोजित करने के लिए स्थान प्रदान करेगा। वह वर्क्स कमेटी और उसके सदस्यों को वर्क्स कमेटी के कार्यों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध कराएगा। वर्क्स कमेटी सामान्यतः किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्य के समय में बैठक करेगी और बैठक में भाग लेने के दौरान कामगार के प्रतिनिधि को ड्यूटी पर माना जाएगा;

(ख) वर्क्स कमेटी के सचिव अध्यक्ष की पूर्व सहमति के साथ औद्योगिक प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड पर वर्क्स कमेटी के काम के बारे में नोटिस डाल सकते हैं।

4. धारा 4 की उप-धारा (2) के तहत शिकायत निवारण समिति के लिए नियोक्ताओं और कामगारों से सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया :- शिकायत निवारण समिति में नियोक्ता और कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की समान संख्या होगी, जो दस से अधिक नहीं होगी।

(2) नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा और अधिमानतः मुख्य औद्योगिक प्रतिष्ठान के विभागों के प्रमुख जहां तक संभव हो, औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्यकलाप के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हों या संबंधित अधिकारी हों।

(3) कामगारों के प्रतिनिधियों को पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा चुना जाएगा। ऐसे मामले में जहां कोई पंजीकृत ट्रेड यूनियन या वार्ता परिषद नहीं है, सदस्य को प्रतिष्ठान के कामगारों द्वारा चुना जा सकता है:

बशर्ते कि शिकायत निवारण समिति में महिला कामगारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और इस तरह का प्रतिनिधित्व औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कुल कामगारों के लिए महिला कामगारों के अनुपात से कम नहीं होगा।

आगे यह प्रावधान किया गया है कि शिकायत निवारण समिति के सदस्यों की कार्यावधि पंजीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्यों की कार्यावधि के साथ को-टर्मिनस (समकालिक) होगी।

आगे यह प्रावधान भी किया गया है कि पंजीकृत ट्रेड यूनियन के न होने पर शिकायत निवारण समिति के सदस्यों की कार्यावधि शिकायत निवारण समिति के गठन की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए होगी।

(4) जहां औद्योगिक प्रतिष्ठान का कोई भी कामगार पंजीकृत ट्रेड यूनियन का सदस्य है, नियोक्ता ऐसे ट्रेड यूनियन को लिखित रूप में उसे सूचित करने के लिए कहेगा -

(क) कितने कामगार ऐसे ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं;

(ख) जहां किसी नियोक्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा खंड (क) के तहत उसे दी गई जानकारी गलत है, तो वह इस तरह के ट्रेड यूनियन को सूचित करने के बाद क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) को मामले को संदर्भित कर सकता है जो पक्षों को सुनने के बाद, मामले का फैसला करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(5) उप-नियम (4) के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा समिति में कामगारों के प्रतिनिधि के चयन हेतु दी जाने वाली अपेक्षित सूचना की प्राप्ति पर चयन दो निम्नलिखित समूहों द्वारा किया जाएगा, नामतः -

(क) पंजीकृत ट्रेड यूनियन अपने प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में शिकायत निवारण समिति के लिए अपने सदस्यों के अनुपात के आधार पर चयनित करेगा।

(ख) ऐसे कामगार जो किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं हैं, अपने प्रतिनिधियों में से ही किसी का चयन शिकायत निवारण समिति के लिए कर सकते हैं।

5. धारा 4 की उप-धारा (5) के तहत किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा शिकायत निवारण समिति के समक्ष दायर किए जाने वाले किसी भी विवाद के संबंध में आवेदन - कोई भी पीड़ित कामगार शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपना विवाद बताते हुए आवेदन दाखिल कर सकता है। नाम, पदनाम, कर्मचारी कोड, विभाग, जहां उसे नियुक्त किया गया है, वर्षों में सेवा की अवधि, कामगार की श्रेणी, पत्राचार के लिए पता, संपर्क विवरणी, शिकायतों का विवरण और राहत मांगी गई है। इस तरह के आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा भेजा जा सकता है। शिकायत ऐसे विवाद की कार्रवाई के कारण की तिथि से एक वर्ष के भीतर की जा सकती है।

6. धारा 4 की उप-धारा (8) के अंतर्गत सुलहकर्ता अधिकारी के पास शिकायत निवारण समिति के शिकायत निवारण संबंधी निर्णय के विरुद्ध आवेदन दाखिल करने का स्वरूप - कोई भी कामगार जो शिकायत निवारण समिति के निर्णय से पीड़ित है, जिसकी शिकायत का निवारण आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर उक्त समिति द्वारा नहीं किया जाता है, वह शिकायत निवारण समिति के निर्णय की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर अथवा उस तारीख से जिस पर धारा 4 की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाती है, जैसा भी मामला हो, ट्रेड यूनियन के माध्यम से सुलहकर्ता अधिकारी को, जिसमें वह सदस्य है या अन्यथा समाधान हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय के समाधान पोर्टल के माध्यम से एक आवेदन दाखिल कर सकता है :

बशर्ते ऐसे आवेदन की पंजीकृत पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से वास्तविक रूप से प्राप्त होने के मामले में सुलहकर्ता अधिकारी उसे डिजिटिकृत करवाएगा और आवेदन के विवरणों की प्रविष्टि ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से संबंधित कामगार को सूचना देते हुए दर्ज करेगा।

अध्याय III

स्थायी आदेश

7. धारा 30 की उप-धारा (3) के तहत प्रमाणित करने वाले अधिकारी को सूचना अग्रेषित करने की विधि - (1) यदि नियोक्ता अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के संबंध में धारा 29 में निर्दिष्ट केंद्र सरकार के आदर्श स्थायी आदेश को अपनाता है या तत्पश्चात वह संबंधित प्रमाणित अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस विशिष्ट तिथि को जहां से आदर्श स्थायी आदेश के प्रावधान जो उसकी स्थापना के लिए प्रासंगिक हैं, को मान्य किया गया है, सूचित करेगा।

(2) उप-नियम (1) में सूचना मिलने पर प्रमाणन अधिकारी ऐसी रसीद की प्राप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर यह देख सकता है कि नियोक्ता को कुछ प्रावधानों को शामिल करना आवश्यक है जो उसकी स्थापना के लिए प्रासंगिक हैं और उन प्रासंगिक प्रावधानों को इंगित करते हैं। मॉडल के स्थायी आदेश, जिन्हें अपनाया नहीं गया है और नियोक्ता को इस तरह के निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, इसके अलावा, विलोपन या संशोधन के द्वारा, स्थायी आदेश में संशोधन करने का निर्देश देगा। अनुपालन रिपोर्ट केवल उन प्रावधानों के संबंध में है जो प्रमाणित करने वाले अधिकारी को संशोधित करने की मांग करते हैं और ऐसी रिपोर्ट नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

(3) यदि उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट जानकारी प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रमाणित करने वाले अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की जाती है, तो नियोक्ता द्वारा स्थायी आदेश को मान्य किया जाएगा।

8. धारा 30 की उप-धारा (5) के अंतर्गत खण्ड (ii) के अंतर्गत जहां कोई ट्रेड यूनियन संचालित नहीं है वहां औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम के कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए प्रमाणन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने की प्रक्रिया - जैसा कि उप-धारा (5) के खंड (i) में निर्दिष्ट किया गया है, जहां ऐसा कोई ट्रेड यूनियन नहीं है तो प्रमाणन अधिकारी तीन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए कामगारों की एक बैठक बुलाएगा जिसके चुने जाने पर स्थायी आदेश की एक प्रति को किसी प्रकार की आपत्ति, यदि कोई हो, की अपेक्षा हेतु जिसे कामगार नोटिस की प्राप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने वाले प्रारूप स्थायी आदेश मसौदे के आदेश के लिए करना चाहे, अग्रेषित करेगा।

9. धारा 30 की उप-धारा (8) के अंतर्गत प्रमाणित स्थायी आदेशों के सत्यापन की विधि - स्थायी आदेशों अथवा स्थायी आदेशों में संशोधन, जिसे धारा 30 की उपधारा (8) के अनुसरण में प्रमाणित या आदेश की प्रतियों की धारा 33 की उपधारा (1) के तहत, जैसा भी मामला हो, अपीलीय प्राधिकारी प्रमाणन अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और सभी संबंधितों को एक सप्ताह के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा, लेकिन उन मामलों में जहां नियोक्ता ने आदर्श स्थायी आदेशों को अपनाया है वहां धारा 30 की उप-धारा (3) के तहत डीम्ड सर्टिफिकेशन के मामलों में किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. धारा 30 के उप-धारा (9) के तहत प्रारूप स्थायी आदेशों के साथ संलग्न की जाने वाली विवरणी - संलग्न की जाने वाली विवरणी -

(i) आदर्श स्थायी आदेश में, विवरण जैसे कि औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा संबंधित उपक्रम का नाम, पता, ई-मेल पता, संपर्क नंबर और उसमें काम करने वाले कामगारों की संख्या के साथ-साथ उस ट्रेड यूनियन का विवरण शामिल होगा जिससे कामगार जुड़े हों; तथा

(ii) मौजूदा स्थायी आदेशों में संशोधन का प्रारूप, ऐसे स्थायी आदेशों के विवरणों को सम्मिलित करेगा जो एक सारणीकृत विवरण के साथ संशोधित किए जाने के लिए प्रस्तावित है, जिसमें प्रभावी और प्रस्तावित संशोधन के प्रासंगिक प्रावधान में से प्रत्येक के विवरणों का कारण दिया गया है और इस तरह के विवरण पर औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

11. धारा 30 की उप-धारा (10) के अंतर्गत समान स्थापना में मसौदा स्थायी आदेश प्रस्तुत करने की शर्तें - समान औद्योगिक प्रतिष्ठान में शामिल नियोक्ता के समूह के मामलों में धारा 30 के तहत और आगे की कार्यवाही के लिए उप-धारा (1), (5), (6), (8) और (9) में निर्दिष्ट संबंधित ट्रेड यूनियन के साथ परामर्श करने के बाद संयुक्त प्रारूप स्थायी आदेश प्रस्तुत कर सकते हैं :

बशर्ते कि समान औद्योगिक प्रतिष्ठान में शामिल नियोक्ता के समूह के मामलों में संयुक्त प्रारूप स्थायी आदेशों का प्रारूप तैयार किया जाएगा और मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) को प्रस्तुत किया जाएगा जो संबंधित प्रमाणन अधिकारियों के साथ परामर्श करते हुए उक्त संयुक्त प्रारूप स्थायी आदेश में अपेक्षित कारणों का उल्लेख करते हुए प्रमाणन को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं।

12. धारा 32 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील के निपटान का तरीका:-

(1) कोई नियोक्ता अथवा श्रमिक संघ जो धारा 30 की उप-धारा (5) के अंतर्गत प्रमाणन अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील करना चाहता है, तो वह ऐसे आदेश की प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर तालिकाबद्ध रूप में एक अपील ज्ञापन तैयार करेगा जिसमें उन स्थायी आदेशों के उपबंधों जिन्हें परिवर्तित अथवा संशोधित अथवा लोप किया जाना अथवा जोड़ा जाना अपेक्षित है तथा इसके कारणों के विवरण उल्लेख होगा और यह अपील अपीलीय प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से दायर की जाएगी।

(2) अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित करेगा तथा इसका सीधा नोटिस दिया जाएगा -

(क) जहां अपील नियोक्ता अथवा किसी कामगार द्वारा दायर की जाती है, तो वहां औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगारों के श्रमिक संघ को अथवा संबंधित कामगारों के प्रतिनिधि निकाय को अथवा नियोक्ता को, जैसा भी मामला हो;

(ख) जहां अपील किसी श्रमिक संघ द्वारा दायर की जाती है, तो वहां नियोक्ता तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगारों को अन्य सभी श्रमिक संघों को; और

(ग) जहां कामगारों के प्रतिनिधि द्वारा अपील दायर की जाती है, वहां नियोक्ता तथा अन्य किसी कामगार को जिसको अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में पक्षकार के रूप में शामिल किया जाता है।

(3) अपीलकर्ता प्रत्येक प्रतिवादी को अपील ज्ञापन की एक प्रति उपलब्ध कराएगा।

(4) अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही के किसी स्तर पर किसी साक्ष्य की मांग कर सकता है यदि वह इसे अपील के निपटान के लिए आवश्यक समझता है।

(5) अपील की सुनवाई के लिए उप नियम (2) के अंतर्गत निर्धारित तारीख को, अपीलीय प्राधिकारी उस साक्ष्य को लेगा जिसकी उसके द्वारा मांग की गई है अथवा प्रस्तुत करने पर प्रासंगिक माना गया हो और पक्षकारों को सुनने के पश्चात अपील का निपटान करेगा।

13. धारा 33 की उप-धारा (1) एवं (2) के अंतर्गत स्थाई आदेश की भाषा तथा इसे रखने का ढंग- (1) धारा 30 के अंतर्गत मानद सत्यापन के मामले को छोड़कर सत्यापन अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से सत्यापित स्थाई आदेश को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से भेजा जाएगा।

(2) अंतिम रूप से सत्यापित अथवा सत्यापित माने गए स्थाई आदेश अथवा इस अध्याय के अंतर्गत अंगीकृत आदर्श स्थाई आदेश की विषय वस्तु को नियोक्ता द्वारा हिंदी में अथवा अंग्रेजी में तथा जिस राज्य में औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थित है उस राज्य की राजभाषा में रखा जाएगा।

14. धारा 34 के अंतर्गत स्थाई आदेश की अंतिम प्रमाणित प्रति के लिए रजिस्टर -

(1) प्रमाणित करने वाला अधिकारी सभी संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों के इलेक्ट्रॉनिक ढंग से सभी प्रमाणित अथवा प्रमाणित माने गए अथवा अंगीकृत आदर्श स्थाई आदेशों का रजिस्टर रखेगा जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण होगा:

(क) प्रत्येक स्थाई आदेश को दी गई विशिष्ट संख्या;

(ख) औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम;

(ग) औद्योगिक प्रतिष्ठान की प्रकृति;

(घ) प्रत्येक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम द्वारा प्रमाणन की तारीख अथवा मानद प्रमाणन की तारीख अथवा आदर्श स्थाई आदेश को अंगीकृत करने की तारीख;

(ङ.) औद्योगिक प्रतिष्ठान के संचालन का क्षेत्र; और

(च) स्थाई आदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक एवं सहायक कोई विवरण तथा ऐसे सभी स्थाई आदेशों के डेटाबेस का निर्माण करना।

(2) प्रमाणित करने वाला अधिकारी आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रमाणित स्थाई आदेशों अथवा मानद प्रमाणित स्थाई आदेशों, जैसा भी मामला हो, के प्रति पृष्ठ दो रुपये की दर से भुगतान करने पर उसकी प्रति उपलब्ध कराएगा। इस प्रयोजनार्थ भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी किया जा सकता है।

15. धारा 35 की उप-धारा (2) के अंतर्गत स्थाई आदेश में संशोधन हेतु आवेदन- धारा 35 की उप-धारा (2) के अंतर्गत विद्यमान स्थाई आदेश में संशोधन के लिए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक ढंग से दिया जाएगा तथा तालिका में विवरण जिसमें प्रवृत्त स्थाई आदेश के प्रासंगिक उपबंधों का विवरण तथा उनमें प्रस्तावित संशोधन, उनके कारण, तथा इसके अंतर्गत कार्यरत पंजीकृत श्रमिक संघों का विवरण सहित संशोधन के लिए प्रस्तावित ऐसे स्थाई आदेश के विवरण शामिल होंगे तथा ऐसे विवरण पर औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

अध्याय IV

परिवर्तन का नोटिस

16. धारा 40 के खण्ड (झ) के अंतर्गत प्रभावी किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन हेतु नोटिस देने की विधि:- (1) कोई भी नियोक्ता इस संहिता की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में किसी कामगार पर लागू सेवा शर्तों में कोई बदलाव करना चाहता है, तो ऐसे परिवर्तन से प्रभावित ऐसे कामगार को प्ररूप-II में नोटिस देगा।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित नोटिस को नियोक्ता द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर विशिष्ट रूप से नोटिस बोर्ड तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान से संबंधित प्रबंधक के कार्यालय में दर्शाया जाएगा:

बशर्ते कि जहां औद्योगिक प्रतिष्ठान से संबंधित कोई पंजीकृत श्रमिक संघ अथवा एक से अधिक संघ हैं, वहां ऐसे नोटिस की प्रति ऐसे श्रमिक संघ के सचिव अथवा ऐसे श्रमिक संघों के प्रत्येक सचिव को, जैसा भी मामला हो, दी जाएगी।

अध्याय V

विवादों को न्यायनिर्णयन हेतु स्वैच्छिक रूप से भेजना

17. धारा 42 की उप-धारा (3) के अंतर्गत-न्यायनिर्णयन समझौते का प्ररूप एवं उसका तरीका – (1) जहां नियोक्ता एवं कामगार विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए भेजने को सहमत हो जाते हैं, वहां न्यायनिर्णयन समझौता प्रपत्र-III में होगा तथा समझौते के पक्षकारों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते के साथ आर्बिट्रेटर अथवा आर्बिट्रेटर्स की लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक सहमति होगी।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित न्यायनिर्णयन समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे:-

(i) नियोक्ता के मामले में, स्वयं नियोक्ता द्वारा अथवा जहां नियोक्ता एनकारपोरेटेड कम्पनी है अथवा अन्य निकाय कार्पोरेट है, वहां ऐसे प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कार्पोरेशन के एजेंट, प्रबंधक अथवा अन्य अधिकारी द्वारा;

(ii) कामगारों के मामले में, इस संबंध में प्राधिकृत पंजीकृत श्रमिक संघ के अधिकारी द्वारा अथवा ऐसे प्रयोजन हेतु आयोजित संबंधित कामगारों की बैठक में इस संबंध में प्राधिकृत कामगारों के तीन प्रतिनिधियों द्वारा;

(i) किसी एक कामगार के मामले में, स्वयं कामगार द्वारा अथवा पंजीकृत श्रमिक संघ के अधिकारी द्वारा, जिसका वह सदस्य है।

स्पष्टीकरण:- (1) इस नियम में, 'अधिकारी' से अभिप्राय ऐसे प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी पंजीकृत श्रमिक संघ अथवा नियोक्ता संघ के किसी अधिकारी से है।

(2) इस नियम में 'अधिकारी' से अभिप्राय निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी अधिकारी से है, नामतः-

क) अध्यक्ष;

ख) उपाध्यक्ष;

ग) सचिव (महासचिव सहित)

घ) एक संयुक्त सचिव; और

ड.) संघ के अध्यक्ष एवं सचिव की ओर से इस संबंध में प्राधिकृत श्रमिक संघ का कोई अन्य अधिकारी।

18. धारा 42 की उप-धारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने का तरीका- जहां कोई औद्योगिक विवाद न्यायनिर्णयन हेतु संदर्भित किया गया है तथा केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि मामले को भेजने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह उन नियोक्ताओं एवं कामगारों की सूचना के लिए जो इस न्यायनिर्णयन समझौते के पक्षकार नहीं हैं परन्तु विवाद से संबंधित है, इस संबंध में सरकारी राजपत्र में तथा इलेक्ट्रॉनिक ढंग से एक अधिसूचना प्रकाशित करेगी ताकि वे इस प्रयोजनार्थ नियुक्त आर्बीट्रेटर अथवा आर्बीट्रेटर्स के समक्ष अपने मामले को रख सकें।

19. जहां धारा 42 की उप-धारा (5) के अंतर्गत कोई श्रमिक संघ नहीं है, वहां धारा 42 की उप-धारा (5) के परन्तुक खण्ड (ग) के अनुसरण में आर्बीट्रेटर्स के समक्ष उनका मामला प्रस्तुत करने के लिए कामगारों के प्रतिनिधी का चयन संबंधित कामगारों के बहुमत द्वारा प्ररूप-IV में पारित प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा जिसमें उन्हें मामले के प्रतिनिधित्व के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। ऐसे कामगार प्रतिनिधियों के क्रियाकलापों द्वारा बाध्य होंगे जिन्हें आर्बीट्रेटर अथवा आर्बीट्रेटर्स, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

अध्याय VI

औद्योगिक विवादों के निपटान हेतु तंत्र

20. धारा 44 की उप-धारा (9) के अंतर्गत रिक्ति को भरने का तरीका तथा धारा 46 की उप-धारा (6) के अंतर्गत राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के चयन की प्रक्रिया, वेतन एवं भत्ते तथा अन्य शर्तें - (1) राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य (इस अध्याय में तदुपरांत न्यायिक सदस्य के रूप में संदर्भित) की नियुक्ति के लिए योग्यता धारा 46 की उप-धारा (3) में यथाउपबंधित होगी।

(2) उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा न्यायिक सदस्य की नियुक्ति की जाएगी।

(3) खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामतः-

(i) भारत का मुख्य न्यायधीश अथवा उसके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का न्यायधीश - अध्यक्ष;

(ii) राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का पदस्थ न्यायिक सदस्य - सदस्य;

(iii) सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - सदस्य; और

(iv) सचिव, भारत सरकार, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग - सदस्य

(4) खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) अपनी सिफारिश करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण करेगी और योग्यता, उपयुक्तता, गत निष्पादन का रिकार्ड, सत्यनिष्ठा के साथ-साथ राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यायनिर्णयन अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पद पर नियुक्ति हेतु दो अथवा तीन व्यक्तियों, जो यह उचित समझे, के एक पैनल की सिफारिश करें।

(5) किसी न्यायिक सदस्य की नियुक्ति को केवल रिक्ति अथवा खोज-सह-चयन समिति में किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अवैध घोषित नहीं किया जाएगा।

(6) एक न्यायिक सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि अथवा पैसठ वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक अपने पद पर बना रहेगा।

(7) न्यायिक सदस्य के पद पर आकास्मिक रिक्ति होने के मामले में, केन्द्र सरकार किसी अन्य राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य को वहां न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगी।

(8) (क) एक न्यायिक सदस्य को प्रतिमाह 2,25,000/- रुपये (नियत) के वेतन का भुगतान किया जाएगा तथा वह भारत सरकार में समूह 'क' पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को देय भत्ते भी प्राप्त करने का पात्र होगा।

(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायधीश की नियुक्ति के मामले में, उसके वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन की राशि घटा दी जाएगी।

(9) (क) सेवारत उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के मामले में, राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण में दी गई सेवा की गणना जिस सेवा से संबंधित है, उसके वर्तमान नियमों के अनुसार प्राप्त की जाने वाली पेंशन के लिए की जाएगी तथा वे सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के उपबंधों तथा उन पर लागू पेंशन के नियमों द्वारा शासित होंगे।

(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के मामले में, वे उनके पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल होने के पात्र होंगे तथा राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण में दी गई सेवा के लिए अतिरिक्त उपदान का भुगतान नहीं किया जाएगा।

- (10) एक न्यायिक सदस्य किराया मुक्त फर्निस्ड आवास अथवा भारत सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को देय दर से मकान किराए भत्ते का पात्र होगा।
- (11) (क) सेवारत उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के मामले में, सेवारत उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को देय अवकाश इन्हें भी देय होगा।
(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के मामले में, भारत सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को देय अवकाश इनको भी देय होगा।
- (12) (क) न्यायिक सदस्य के लिए अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी केन्द्र सरकार होगी।
(ख) न्यायिक सदस्य के विदेशी दौरे के लिए स्वीकृति प्राधिकारी केन्द्र सरकार होगी।
- (13) भारत सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को देय केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं इन पर भी लागू होंगी।
- (14) (क) किसी न्यायिक सदस्य को यात्रा भत्ता भारत सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार देय होगा।
(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के मामले में, राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपने होम टाउन से मुख्यालय तथा कार्य की समाप्ति पर मुख्यालय से होम टाउन के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता भी भारत सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार देय होगा।
- (15) एक न्यायिक सदस्य भारत सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को देय छुट्टी यात्रा रियायत का भी पात्र होगा।
- (16) एक न्यायिक सदस्य भारत सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को देय परिवहन भत्ते का भी पात्र होगा।
- (17) किसी भी व्यक्ति को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा मेडिकली फिट घोषित न किया जाए।
- (18) (क) यदि किसी न्यायिक सदस्य पर अभद्रता का निश्चित आरोप अथवा इस पद पर कार्य करने की अक्षमता के संबंध में कोई लिखित तथा सत्यापन योग्य शिकायत केन्द्र सरकार को प्राप्त होती है, तो केन्द्र सरकार ऐसी शिकायत की प्राथमिक जांच करेगी।
(ख) यदि प्राथमिक जांच करने पर, केन्द्र सरकार का मत है कि किसी न्यायिक सदस्य द्वारा अभद्रता अथवा अक्षमता की सत्यता की जांच करने के लिए तर्कसंगत आधार हैं, तो यह जांच करने के लिए मामले को खोज-सह-चयन समिति को संदर्भित करेगी।
(ग) खोज-सह-चयन समिति इस जांच को छः माह के समय अथवा केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त समय में पूरा करेगी।
(घ) जांच की समाप्ति के पश्चात, खोज-सह-चयन समिति अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को देगी जिसमें प्रत्येक आरोप पर अलग-अलग तथा पूर्ण मामले में, जो यह उचित समझे, परिणामों, कारणों का अपनी टिप्पणियों के साथ उल्लेख होगा।
- (5) खोज-सह-चयन समिति कोड ऑफ सीविल प्रोसिजर, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगी परन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होगी तथा अपनी जांच की तारीख, स्थान तथा समय निर्धारित करने सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।
- (19) एक न्यायिक सदस्य किसी भी समय केन्द्र सरकार को संबोधित स्वयं लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है:
बशर्तें की वह न्यायिक सदस्य, जब तक की उसे केन्द्र सरकार द्वारा उसे अपना पद पहले त्यागने के लिए अनुमति न हो, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक अथवा उस पद पर उसके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसके कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रहेगा।
- (20) (क) केन्द्र सरकार, खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर किसी न्यायिक सदस्य को अपने पद से हटा देगी, जो –
(क) दिवालिया घोषित किया गया हो; अथवा
(ख) किसी अपराध से दोषसिद्ध किया गया हो जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो; अथवा
(ग) न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक अथवा मांसिक रूप से अक्षम हो गया हो; अथवा
(घ) ऐसा वित्तीय एवं अन्य लाभ प्राप्त किया हो जिससे उसके न्यायिक सदस्य के रूप में उसके कार्य की निष्पक्षता प्रभावित होने की संभावना हो; अथवा

(ड.) अपने पद का इस प्रकार से दुरुपयोग किया हो कि उसका अपने पद पर बना रहना लोक हित में न हो :

बशर्ते कि जब किसी न्यायिक सदस्य को खंड (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर अपने पद से हटाया जाना प्रस्तावित हो, तो उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में सूचित किया जाए तथा उन आरोपों के संबंध में उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए।

(21) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने पद पर आसीन होने से पहले, पद की शपथ लेगा और इन नियमों से संलग्न फॉर्म-V में गोपनीयता पर हस्ताक्षर करेगा।

(22) न्यायिक सदस्य की सेवाओं की निबंधन और शर्तों से संबंधित मामला जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं, केन्द्रीय सरकार के केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण को इसके निर्णय हेतु भेजा जाएगा, तथा केन्द्रीय सरकार के निर्णय बाध्यकारी होगा।

(23) केन्द्रीय सरकार को लिखित में रिकॉर्ड दर्ज किए जाने वाले कारणों से किसी व्यक्ति श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों में से किसी के प्रावधान में ढील देने की शक्ति प्राप्त होगी।

21. धारा 44 की उप-धारा (9) के अंतर्गत रिक्ति भरने की पद्धति और धारा 46 की उप-धारा (6) के अंतर्गत राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण के प्रशासनिक सदस्य के चयन, वेतन और भत्ते एवं अन्य निबंधन और शर्तों हेतु कार्यप्रक्रिया – (1) राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण के प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति हेतु योग्यता (इसके बाद इस अध्याय में प्रशासनिक सदस्य के रूप में संदर्भित) धारा 46 की उप-धारा (4) में दिए अनुसार होगी।

(2) (क) प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति इस नियम के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट खोज सह चयन समिति की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।

(3) खोज सह चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामतः-

(i) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश – अध्यक्ष;

(ii) अन्य राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण के वर्तमान प्रशासनिक सदस्य – सदस्य; (वर्तमान में दो राष्ट्रीय न्यायाधीकरण हैं, एक कोलकाता में और दूसरा मुंबई में)

(iii) सचिव, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय – सदस्य; तथा

(iv) सचिव, भारत सरकार, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग – सदस्य,

(4) खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) अपनी सिफारिश देने की कार्यप्रक्रिया का निर्धारण करेगी, और, राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए अर्हता, उपयुक्तता, विगत कार्य-प्रदर्शन के रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा के साथ-साथ अनुभव पर भी विचार करने के बाद उक्त पद पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त लगने पर दो या तीन सदस्यों के पैनल की सिफारिश करेगी।

(5) खोज-सह-चयन समिति में एक रिक्ति या किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण मात्र से प्रशासनिक सदस्य की किसी नियुक्ति को अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा।

(6) किसी प्रशासनिक सदस्य का कार्यकाल चार वर्ष की अवधि या पेंसठ वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, होगा।

(7) प्रशासनिक सदस्य के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति के मामले में, केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक सदस्य के रूप में कर्तव्य पूरा करने के लिए किसी अन्य राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण के प्रशासनिक सदस्य को नियुक्त करेगी।

(8) प्रशासनिक सदस्य को 2,25,000/- (नियत) प्रतिमाह के वेतन का भुगतान किया जाएगा तथा वह समान वेतन प्राप्त करने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर पदस्थ किसी अधिकारी के लिए यथा स्वीकार्य भत्ते आहरित करने के हकदार होंगे। सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के मामले में, उनके वेतन में उनके द्वारा आहरित पेंशन की कुल राशि द्वारा कटौती की जाएगी।

(9) (क) सेवारत सरकारी अधिकारी के मामले में, राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण में की गई सेवा की गणना उनकी सेवा से संबंधित विद्यमान नियमों के अनुसार आहरित की जाने वाली पेंशन के लिए की जाएगी तथा यह सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 द्वारा शासित होगी।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के मामले में, वे अपने पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान विद्यमान नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल होने के हकदार होंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरणों में प्रशासनिक न्यायाधीकरण द्वारा की गई सेवा के लिए अतिरिक्त उपदान स्वीकार्य नहीं होगा।

(10) प्रशासनिक सदस्य किराया मुक्त सुसज्जित आवास अथवा समान वेतन वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन किसी अधिकारी को यथा स्वीकार्य दर पर मकान किराया भत्ते का हकदार होगा।

(11) (क) सेवारत सरकारी अधिकारी के मामले में, छुट्टी संबंधित अधिकारी की सेवा के विद्यमान नियमों के अनुसार स्वीकार्य होगी।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के मामले में, छुट्टी समान वेतन पाने वाले समूह क पद के भारत सरकार के किसी अधिकारी को यथा-स्वीकार्य अनुसार होगी।

(12) (क) केन्द्रीय सरकार सदस्य के लिए छुट्टी संस्वीकृत करने वाली प्राधिकारी होगी।

(ख) केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक सदस्य की विदेश यात्रा को संस्वीकृत करने वाली प्राधिकारी होगी।

(13) समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन भारत सरकार के अधिकारी को यथा-स्वीकार्य केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना सुविधाएं लागू होंगी।

(14) (क) प्रशासनिक सदस्य को यात्रा भत्ता, समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन भारत सरकार के किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार स्वीकार्य होगा।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के मामले में, नियत कार्य की समाप्ति पर गृह नगर से मुख्यालय और इसके विपरीत राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण में कार्यग्रहण करने के लिए स्थानान्तरण यात्रा भत्ता भी समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन भारत सरकार के किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार स्वीकार्य होगा।

(15) कोई प्रशासनिक सदस्य समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन भारत सरकार के किसी अधिकारी को यथा स्वीकार्य छुट्टी यात्रा रियायत का पात्र होगा।

(16) कोई प्रशासनिक सदस्य समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन भारत सरकार के किसी अधिकारी को यथा स्वीकार्य परिवहन भत्ते का पात्र होगा।

(17) किसी व्यक्ति को प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से स्वस्थ घोषित न कर दिया जाए।

(18) (क) यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई लिखित और सत्यापन योग्य शिकायत प्राप्त की जाती है, जिसमें कथित तौर पर कदाचार या प्रशासनिक सदस्य के रूप में कार्य-निष्पादन करने की अक्षमता का कोई निश्चित आरोप लगाया गया हो, तो यह इस शिकायत की प्रारंभिक संवीक्षा करेगी।

(ख) यदि प्रारंभिक संवीक्षा पर, केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि किसी प्रशासनिक सदस्य के किसी कदाचार या अक्षमता की सच्चाई की जांच करने के यथोचित आधार हैं, तो यह जांच कराने के लिए खोज-सह-चयन समिति को इसका हवाला देगी।

(ग) खोज-सह-चयन समिति छह माह के समय में अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार आगे किसी अवधि के भीतर जांच पूरी करेगी।

(घ) जांच की समाप्ति के बाद, खोज-सह-चयन समिति समस्त प्रकरण पर अपने विवेकानुसार प्रेक्षणों के साथ प्रत्येक आरोप पर अलग-अलग कारणों और अपने निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ङ) खोज-सह-चयन समिति नागरिक कार्यप्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित कार्यप्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगी बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी तथा अपनी जांच की तारीख, स्थान और समय के निर्धारण सहित अपनी स्वयं की कार्यप्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति रखेगी।

(19) कोई प्रशासनिक सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित इस आशय का अपना हस्तलिखित नोटिस देकर किसी भी समय अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है:

बशर्ते कि प्रशासनिक सदस्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्रतम अपना पद त्यागने की अनुमति न दिए जाने तक, यह नोटिस मिलने की तारीख से तीन माह की समाप्ति तक या उसके पद पर उत्तराधिकारी के रूप में विधिवत नियुक्त व्यक्ति के उसके कार्यालय में प्रवेश करने तक अथवा उसका कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा।

(20) केन्द्रीय सरकार, खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर, किसी भी प्रशासनिक सदस्य को पद से निष्कासित कर देगी, जो –

(क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या

(ख) किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया हो जिसमें, नैतिक अधमता निहित हो; या

(ग) ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या

(घ) ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित उपार्जित किया हो जिससे प्रशासनिक सदस्य के रूप में उसके कार्यों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना हो; या

(ङ) जनहित के प्रतिकूल पद पर बने रहने के लिए अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो:

बशर्ते कि जहां किसी प्रशासनिक सदस्य को खण्ड (ख) से (ङ) में निर्दिष्ट किसी आधार पर हटाया जाना प्रस्तावित हो, तो उसे उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी जाएगी तब उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(21) प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने पद में दाखिल होने से पहले, इन नियमों में संलग्न फॉर्म-V में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(22) प्रशासनिक सदस्य की सेवाओं के निबंधन और शर्तों से संबंधित मामला जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं बनाए गए हैं, राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को इसके निर्णय हेतु भेजा जाएगा, तथा इस पर केन्द्रीय सरकार का निर्णय बाध्यकारी होगा।

(23) केन्द्रीय सरकार को लिखित में दर्ज कारणों के लिए किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इनमें से किसी नियमों के प्रावधान में ढील देने की शक्ति प्राप्त होगी।

22. उप-धारा (1) के अंतर्गत सुलह कार्यवाही करने की पद्धति, उप-धारा (4) के अंतर्गत पूर्ण रिपोर्ट, तथा धारा 53 की उप-धारा (6) के अंतर्गत आवेदन तथा इस आवेदन पर निर्णय लेने की पद्धति – (1) जहां कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान हो या आशंका हो या धारा 62 के अंतर्गत नोटिस दिया गया हो, तो सुलह अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर उसकी जांच करेगा और यदि उसके द्वारा यह पाया जाता है कि विवाद राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से संबंधित है तो उसके द्वारा विवाद को संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाएगा। अन्य मामलों में वह संबंधित पक्षों को पहला नोटिस जारी करेगा जिसमें यह घोषित किया जाएगा कि वह सुलह संबंधी कार्यवाही आरंभ करने का इरादा रखता है।

- (1) पहली बैठक में नियोक्ता या कामगार के प्रतिनिधि द्वारा कथित विवाद के मामले से संबंधित अपने-अपने विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (2) सुलह अधिकारी द्वारा विवाद के निपटान के प्रयोजनार्थ सुलह संबंधी कार्य किए जाएंगे और वह ऐसे सभी कार्य कर सकता है जिन्हें वह पक्षों को एक उचित और सौहार्दपूर्ण निपटान तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त समझता है।

(2) यदि उप-नियम (1) में संदर्भित सुलह की कार्यवाही में ऐसा कोई निपटान नहीं होता है, तो सुलह अधिकारी सुलह कार्यवाही के समापन तथा उक्त सुलह पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर श्रम और रोजगार मंत्रालय के सुलह पोर्टल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) उप-नियम (2) में संदर्भित रिपोर्ट उक्त सुलह पोर्टल पर संबंधित पक्षकारों की सुगम पहुंच के भीतर होगी।

(4) उप-नियम (2) में संदर्भित रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ नियोजक, कामगार या श्रमिक संघ, जैसा भी मामला हो, के प्रस्तुतीकरण शामिल होंगे, तथा इसमें पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण निपटान कराने में सुलह अधिकारी द्वारा किए गए प्रयास, विवाद का सुलह करने में पक्षकारों के इन्कार के कारण तथा सुलह अधिकारी का निष्कर्ष भी शामिल होंगे।

(5) सुलह कार्यवाही के दौरान निपटान न किए गए किसी भी विवाद के संबंध में, इसके पश्चात्, कोई भी संबंधित पक्षकार उप-नियम (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की तारीख से नब्बे दिन के भीतर श्रम और रोजगार मंत्रालय के सुलह पोर्टल के माध्यम से न्यायाधीकरण के समक्ष फॉर्म-VI में आवेदन कर सकता है।

(6) सुलह कार्यवाही के दौरान निपटान न किए गए किसी भी औद्योगिक विवाद के मामले में, किसी भी पक्षकार द्वारा अधिनिर्णयन हेतु न्यायाधीकरण के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। न्यायाधीकरण विवाद उठाने वाले पक्षकार को संबंधित दस्तावेजों, समर्थक दस्तावेजों की सूची और गवाहों सहित पूर्ण विवरण के साथ दावे की विवरणी आवेदन दायर करने की तारीख से तीस दिन के भीतर दर्ज कराने का निदेश देगा। ऐसी विवरणी की प्रतिलिपि विवाद में शामिल प्रत्येक विरोधी पक्षकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाए या सेवा हेतु सुलह पोर्टल पर अपलोड की जाए।

(7) यह पता लगाने के बाद कि दावे की विवरणी और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां विवाद उठाने वाले पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार को प्रस्तुत कर दी गई हैं, न्यायाधीकरण शीघ्रातिशीघ्र और आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर पहली सुनवाई नियत करेगा। विरोधी पक्षकार या पक्षकार समर्थक दस्तावेजों और इनकी सूची तथा गवाहों की सूची, यदि कोई हो, के साथ अपनी लिखित विवरणी पहली सुनवाई की तारीख से तीस दिन के भीतर दर्ज करेंगे तथा इसी के साथ-ही सेवा हेतु विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को इसकी प्रतिलिपि अग्रेषित करेंगे।

(8) जहां न्यायाधीकरण पाता है कि विवाद उठाने वाले पक्षकार ने, इसके निर्देशों के बावजूद, दावे की विवरणी और अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को अग्रेषित नहीं की, तो न्यायाधीकरण दावे की विवरणी और अन्य दस्तावेज समय पर दर्ज कराने के पर्याप्त कारण पाए जाने पर पंद्रह दिन का विस्तार देते हुए संबंधित पक्षकार को निदेश देगा कि वह विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को विवरणी की प्रतिलिपि प्रस्तुत करे।

(9) साक्ष्य, तो या न्यायाधीकरण में, या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण में, जैसा भी मामला हो, रिकॉर्ड किया जाएगा अथवा शपथ-पत्र पर दर्ज कराया जाएगा लेकिन शपथ-पत्र के मामले में विरोधी पक्षकार को शपथ-पत्र दर्ज कराने वाले प्रत्येक प्रतिवादी से जिरह करने का अधिकार प्राप्त होगा। जहां प्रत्येक गवाह की मौखिक जांच की कार्यवाही की जाती है, वहां न्यायाधीकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण, जैसा भी मामला हो, निपटान किए जा रहे पदार्थ का ज्ञापन देगा। मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड करते समय, न्यायाधीकरण या

राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण नागरिक कार्य संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश XVIII के नियम 5 में निर्धारित कार्यप्रक्रिया का पालन करेगा।

(10) साक्ष्य के समापन पर, तर्क पर सुनवाई तत्काल की जाए या तर्कों के लिए तारीख नियत की जाए, जो साक्ष्य के समापन से पंद्रह दिन की अवधि से अधिक नहीं होगी।

(11) न्यायाधीकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण, जैसा भी मामला हो, सामान्यतः एक समय में एक सप्ताह से अधिक की अवधि के स्थगन की मंजूरी देगा, लेकिन किसी भी मामले में विवाद के पक्षकारों के दृष्टांत पर कुल तीन स्थगनों से अधिक स्थगन की मंजूरी नहीं देगा:

बशर्ते कि न्यायाधीकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण, जैसा भी मामला हो, लिखित में रिकॉर्ड दर्ज कारणों के लिए, सामान्यतः एक समय में एक सप्ताह से अधिक की अवधि के स्थगन की मंजूरी देगा, लेकिन किसी भी मामले में विवाद के पक्षकारों के दृष्टांत पर कुल तीन स्थगनों से अधिक स्थगन की मंजूरी नहीं देगा।

(12) यदि कोई पक्षकार किसी चरण में उपस्थित होने में चूक करता है या विफल होता है, तो न्यायाधीकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण, जैसा भी मामला हो, प्रकरण पर एक-पक्षीय कार्यवाही कर सकता है, तथा चूककर्ता पक्षकार की अनुपस्थिति में आवेदन पर निर्णय दे सकता है:

बशर्ते कि न्यायाधीकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण, जैसा भी मामला हो, निर्णय देने से पहले दर्ज कराए गए किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, आदेश रद्द कर सकता है कि मामला पर एक-पक्षीय कार्यवाही की जाएगी, यदि यह संतुष्ट हो कि पक्षकार की अनुपस्थिति न्यायोचित आधार पर थी, तथा विवादित मामले पर निर्णय करने के लिए आगे की कार्यवाही करेगा।

(13) न्यायाधीकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण, जैसा भी मामला हो, अपना निर्णय इलेक्ट्रॉनिक रूप में संबंधित पक्षकारों और केन्द्रीय सरकार को संप्रेषित करेगा तथा निर्णय की घोषणा की तारीख से एक माह के भीतर सुलह पोर्टल पर अपलोड करेगा।

(14) न्यायाधीकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण मामले पर निर्णय करने के लिए भौतिक पाए गए किसी भी व्यक्ति के साक्ष्य पर सम्मन भेज सकता है और जांच कर सकता है तथा इसे आपराधिक कार्यविधि संहिता, 1973 (1974 का 1) की धारा 345, 346 और 348 के अर्थ के भीतर सिविल न्यायालय माना जाएगा।

(15) जहां न्यायाधीकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण के समक्ष कार्यवाही के संबंध में धारा 49 की उप-धारा (5) के अंतर्गत इसे सलाह देने के लिए मूल्यांककों की नियुक्ति की जाती है, वहां न्यायाधीकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण इन मूल्यांककों की सलाह लेगा, लेकिन यह सलाह इन न्यायाधीकरणों पर बाध्यकारी नहीं होगी।

(16) किसी निर्णय में शामिल पक्षकार, जो निर्णय या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहता है, वह न्यायाधीकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण, जैसा भी मामला हो, में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शुल्क निम्नलिखित पद्धति से जमा करने के पश्चात निर्णय या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है, नामतः -

(क) न्यायाधीकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण की किसी भी कार्यवाही में किसी निर्णय या दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु 10 रुपये प्रति पृष्ठ की दर पर शुल्क।

(ख) ऐसे किसी निर्णय या आदेश या दस्तावेज की प्रतिलिपि को प्रमाणित करने के लिए, 10 रुपये प्रति पृष्ठ का शुल्क देय होगा।

(ग) प्रतिलिपिकरण और प्रमाणन शुल्क इलेक्ट्रॉनिक रूप में देय होगा।

(घ) जहां पक्षकार ऐसे किसी पुरस्कार या दस्तावेज की प्रतिलिपि तत्काल भेजने का आवेदन करता है, वहां इन नियम के अंतर्गत बसूली योग्य शुल्क के आधे के समान अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

(17) न्यायाधीकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के प्रतिनिधियों को जांच, जिरह तथा साक्ष्य पुकारे जाने पर न्यायाधीकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(18) न्यायाधीकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण के समक्ष कार्यवाही खुली अदालत में की जाएगी:

बशर्ते कि न्यायाधीकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण किसी भी कार्यवाही को अपने समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित करने का निदेश दे सकता है :

बशर्ते यह भी कि न्यायाधीकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधीकरण किसी भी चरण में निदेश दे सकता है कि किसी भी गवाह की जांच की जाएगी या इसकी कार्यवाही कैमरे में की जाएगी।

अध्याय VII

हड़ताल और तालाबंदियां

23. उन व्यक्तियों की संख्या जिनके द्वारा हड़ताल का नोटिस दिया जाएगा, वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जिनको यह नोटिस दिया जाएगा तथा धारा 62 की उप-धारा (4) के अंतर्गत यह नोटिस देने की पद्धति - धारा 62 की उप-धारा (1) में संदर्भित हड़ताल का नोटिस किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक को फॉर्म-VII में दिया जाएगा जो इस औद्योगिक प्रतिष्ठान के सचिव और पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पांच चयनित प्रतिनिधियों द्वारा इसकी प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा संबंधित सुलह अधिकारी, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) और केन्द्रीय सरकार को पृष्ठांकित करते हुए विधिवत हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(24) उप-धारा (5) के अंतर्गत तालाबंदी का नोटिस देने की पद्धति तथा धारा 62 की उप-धारा (6) के अंतर्गत प्राधिकरण - (1) धारा 62 की उप-धारा (2) में संदर्भित तालाबंदी का नोटिस किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक द्वारा फॉर्म-VIII में इसकी प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप में संबंधित सुलह अधिकारी, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) और केन्द्रीय सरकार को पृष्ठांकित करते हुए प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन के सचिव को दिया जाएगा। यह नोटिस नियोजक द्वारा स्पष्ट रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए नोटिस बोर्ड पर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) यदि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान का नियोजक स्वयं द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से धारा 62 की उप-धारा (1) में संदर्भित हड़ताल का नोटिस प्राप्त करता है, तो वह इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में संबंधित सुलह अधिकारी और मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) को देगा।

(3) यदि नियोजक स्वयं द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को तालाबंदी का नोटिस देता है, तो वह इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में संबंधित सुलह अधिकारी और मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) को देगा।

अध्याय VIII

बर्खास्तगी, छंटनी और बंदी

25. धारा 70 के खण्ड (ग) के अंतर्गत कागार की छंटनी से पहले नोटिस देने की पद्धति - यदि नियोजक अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित किसी कामगार की छंटनी करने की इच्छा करता है जो इसके अधीन एक वर्ष तक निरंतर सेवा दे चुका हो, तो यह नियोजक केन्द्रीय सरकार, और संबंधित उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) को ई-मेल के माध्यम से या, पंजीकृत अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा फॉर्म-IX में इस छंटनी का नोटिस देगा।

26. धारा 72 के अंतर्गत छंटनी किए गए कामगारों के पुनर्नियोजन हेतु अवसर देने की पद्धति - जहां किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तथा इस रिक्ति को भरने के प्रस्ताव से पूर्व के एक वर्ष के भीतर छंटनी किए गए इस औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगार मौजूद हों, तो इस औद्योगिक प्रतिष्ठान का नियोजक भारत के नागरिक ऐसे छंटनी किए गए कामगारों को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा तथा ई-मेल के माध्यम से कम-से-कम 10 दिन पहले अवसर की पेशकश करेगा। यदि ये कामगार नियोजन हेतु अपनी इच्छा देते हैं, तो नियोजक इस रिक्ति को भरने में अन्य व्यक्तियों पर उन्हें वरीयता देगा।

27. धारा 74 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अभिप्रेत बंदी के लिए नियोजक द्वारा नोटिस देने की पद्धति - यदि नियोजक किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करने का इरादा करता है, तो वह इस बंदी का नोटिस केन्द्रीय सरकार को फॉर्म-IX में देगा तथा इसकी प्रतिलिपि संबंधित उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) को ई-मेल या पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा देगा।

अध्याय IX

कतिपय प्रतिष्ठानों में बर्खास्तगी, छंटनी और बंदी से संबंधित विशेष प्रावधान

28. धारा 78 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अभिप्रेत बर्खास्तगी के लिए नियोजक द्वारा केन्द्रीय सरकार को आवेदन करने तथा कामगारों को इस आवेदन की प्रतिलिपि पेश करने की पद्धति - धारा 78 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियोजक द्वारा फॉर्म-X में अभिप्रेत बर्खास्तगी के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए अनुमति का आवेदन किया जाएगा तथा इस आवेदन की प्रतिलिपि संबंधित कामगार को इलेक्ट्रॉनिक रूप में और पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा इसके साथ-ही-साथ भेजी जाएगी। यह नोटिस नियोजक द्वारा स्पष्ट रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए नोटिस बोर्ड पर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

29. धारा 78 की उप-धारा (3) के अंतर्गत बर्खास्तगी जारी रखने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति हेतु आवेदन करने की पद्धति - नियोजक किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के धारा 78 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट खान होने के मामले में जहां कामगारों (बदली कामगार या दिहाड़ी कामगारों के अलावा) को आग, बाढ़ या ज्वलनशील गैस या विस्फोट की अधिकता के कारणों से बर्खास्त कर दिया गया हो, ऐसी बर्खास्तगी के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन के भीतर बर्खास्त किए गए कामगारों की संख्या, औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों की कुल संख्या, बर्खास्तगी की तारीख तथा इस बर्खास्तगी को जारी रखने के कारण सूचित करते हुए; दिनों की संख्या का उल्लेख करते हुए बर्खास्तगी जारी रखने की अनुमति हेतु संबंधित उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) को प्रतिलिपि अग्रेषित करने के साथ केन्द्रीय सरकार के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक रूप में तथा पंजीकृत या स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन करेगा।

- 30. धारा 78 की उपधारा (7) के अंतर्गत समीक्षा हेतु समय-सीमा-** केंद्र सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसा आदेश जारी करने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 78 की उप-धारा (4) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।
- 31. धारा 79 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कामगारों को आशयित छंटनी और ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि देने की प्रणाली हेतु नियोक्ता द्वारा केंद्र सरकार को आवेदन करने की प्रणाली-** धारा 79 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अनुमति के लिए एक आवेदन नियोक्ता द्वारा फॉर्म-X दिया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से आशयित छंटनी के कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है और ऐसे आवेदन की एक प्रति भी कामगारों को इलेक्ट्रॉनिक और पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से भेजी जाएगी। इस तरह के आवेदन को नियोक्ता द्वारा नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।
- 32. धारा 79 की उप-धारा (6) के अंतर्गत समीक्षा की समय-सीमा-** केंद्र सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर उस तिथि जब यह आदेश जारी किया गया से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 79 की उप-धारा (3) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।
- 33. किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करने के लिए नियोक्ता द्वारा केंद्र सरकार को आवेदन करने की प्रणाली और धारा 80 की उप-धारा (1) के तहत कामगारों के प्रतिनिधियों को ऐसे आवेदन उपलब्ध कराने की प्रणाली-** कोई नियोक्ता जो एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करने का विचार करता है, जिसके लिए संहिता का अध्याय X लागू होता है, जिस दिन को बंद करने का आशय है, उससे कम से कम नब्बे दिन पूर्व केंद्र सरकार को अनुमति के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में फॉर्म X में आवेदन करेगा जसमें स्पष्ट रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठान के बंद होने के कारणों को बताया जाएगा और साथ ही साथ इस तरह के आवेदन की एक प्रति कामगारों के प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रॉनिक और पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी।
- 34. धारा 80 की उप-धारा (5) के अंतर्गत समीक्षा की समय-सीमा-** केंद्र सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर उस तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर धारा 80 की उप-धारा (5) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है, जिस दिन से ऐसे आदेश पारित किए गए हैं।

अध्याय X

कामगार पुनर्कौशल निधि

- 35. धारा 83 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निधि के उपयोग करने की प्रणाली-** प्रत्येक नियोक्ता जिसने इस संहिता के अंतर्गत किसी कामगार या कामगारों की छंटनी की है, उसे दस दिनों के भीतर, किसी कामगार या कामगारों की छंटनी के समय, केंद्र सरकार द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले खाते (खाते का नाम मंत्रालय और मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा) में ऐसे छंटनी किए गए कामगार या कामगारों के अंतिम आहरित वेतन के पंद्रह दिनों के बराबर राशि का अंतरित करेगा। जो निधि प्राप्त होती है, उसे नियोक्ता से निधि प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों के भीतर केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक कामगार या कामगारों के खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित कर दिया जाएगा और कामगार ऐसी राशि का उपयोग अपने पुनर्कौशल के लिए करेगा। नियोक्ता प्रत्येक छंटनी किए गए कामगार के नाम से युक्त सूची भी प्रस्तुत करेगा, जो प्रत्येक कामगार के संबंध में पंद्रह दिनों के वेतन के बराबर राशि उनके बैंक खाते के विवरण के साथ अंतिम रूप से केंद्र सरकार को उनके संबंधित खाते में राशि अंतरित करने में सक्षम करेगी। नियोक्ता प्रत्येक छंटनी किए गए कामगारों के नाम से युक्त सूची भी केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा ताकि प्रत्येक कामगारों को उनके बैंक खाते का विवरण के संबंध में अंतिम आहरित पंद्रह दिनों की मजदूरी के बराबर राशि उनके संबंधित खाते में अंतरित किया जा सके।

अध्याय XI

अपराध और दंड

- 36. धारा 89 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपराधों के गठन की प्रणाली और धारा 89 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निर्धारित किसी अपराध की कम्पाउन्डिंग हेतु आवेदन करने की प्रणाली-**

(1) धारा 89 की उपधारा (1), के तहत अपराधों की कम्पाउन्डिंग के प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी (जिसे इसके पश्चात कम्पाउन्डिंग अधिकारी के रूप में संदर्भित किया गया है) उन अपराधों में जिनमें अभियोजन स्थापित नहीं है, यदि कम्पाउन्डिंग अधिकारी का यह विचार है कि संहिता के तहत कोई भी अपराध जिसके लिए धारा 89 के अंतर्गत कम्पाउन्डिंग की अनुमति है, वह तीन भागों से मिलकर बनी फॉर्म XI में अभियुक्त को समाधान पोर्टल के माध्यम से नोटिस भेजेगा। ऐसे फॉर्म के भाग-I में, कम्पाउन्डिंग अधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ अपराधी और उसके अन्य विवरणों के नाम को अंतर-निर्दिष्ट करेगा, अपराध का विवरण और जिस धारा में अपराध किया गया है, कम्पाउन्डिंग राशि को अपराध के संघटन हेतु भुगतान किया जाना चाहिए। यदि अपराध की कम्पाउन्डिंग नहीं हुई है तो फॉर्म का भाग-II उन परिणामों को निर्दिष्ट करेगा और फॉर्म के भाग-III में अभियुक्त द्वारा दायर किए जाने वाले आवेदन

शामिल होंगे यदि वह अपराध को कम करना चाहता है। प्रत्येक नोटिस में एक अनवरत अद्वितीय संख्या आसानी से पहचान के पयोजनार्थ होगी जिसमें अक्षर या संख्यात्मक और अन्य विवरण होंगे जैसे नोटिस भेजने वाला अधिकारी, वर्ष, स्थान।

(2) जिन अभियुक्तों को उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस दिया गया है, वे अपने द्वारा भरे गए फॉर्म के भाग III को इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य किसी रूप से कंपाउंडिंग अधिकारी को भेज सकते हैं और कंपाउंडिंग राशि को नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर नोटिस में कंपाउंडिंग अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट खाते में, जमा कर सकता है।

(3) जहां अभियुक्त के विरुद्ध पहले से ही अभियोजन सक्षम न्यायालय में स्थापित किया गया है, वह न्यायालय में उसके और न्यायालय के विरुद्ध अपराध को कम करने के लिए आवेदन कर सकता है और न्यायालय, आवेदन पर विचार करने के बाद, धारा 89 के प्रावधानों के अनुसरण में कंपाउंडिंग अधिकारी द्वारा अपराध के निर्धारण की अनुमति दे सकता है।

(4) यदि अभियुक्त उप-नियम (2) की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो कंपाउंडिंग अधिकारी अभियुक्त द्वारा जमा की गई राशि के लिए अपराध को कम करेगा; और

(क) यदि अभियोजन के अपराध को कम कर दिया जाता है, तो अभियोजन के लिए कोई शिकायत अभियुक्त के विरुद्ध नहीं की जाएगी; तथा

(ख) यदि न्यायालय की अनुमति से उप-नियम (3) के तहत अभियोजन स्थापित होने की संस्था के बाद अपराध को कम किया जाता है, इसके बाद, कंपाउंडिंग अधिकारी इस मामले को समाप्त मान लेगा जैसे कि कोई अभियोजन आरंभ नहीं किया गया था और खंड (क) के अंतर्गत संघटन के अनुसरण में कार्रवाई करेगा और सक्षम न्यायालय को अपराध की संरचना को सूचित करेगा, जिसमें अभियोजन लंबित है और ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद, न्यायालय अभियुक्त को मुक्त कर देगा और अभियोजन को बंद कर देगा।

(5) केंद्र सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यक्षीन, इस नियम के अंतर्गत कंपाउंडिंग अधिकारी इस कानून के तहत अपराध को काम करने हेतु शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अध्याय XII

प्रकीर्ण

37. धारा 90 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के अंतर्गत संरक्षित कामगार –

(1) किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसपर यह संहिता लागू होती है, से जुड़े प्रत्येक ट्रेड यूनियन द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पहले नियोक्ता को यूनियन के ऐसे अधिकारियों के नाम और पते सूचित करेगा जो उस प्रतिष्ठान में नियोजित हैं और जिन्हें यूनियन की राय में "संरक्षित कामगार" के रूप में मान्यता दी जा सकती है। ऐसे किसी अधिकारी के पद धारण में किसी परिवर्तन की सूचना यूनियन द्वारा नियोक्ता को ऐसे परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर सूचित की जाएगी।

(2) नियोक्ता धारा 90 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के अध्यक्षीन ऐसे कामगारों को धारा 90 के प्रयोजनार्थ "संरक्षित कामगार" होने के लिए मान्यता देगा और उप-नियम (1) के अंतर्गत नाम और पते की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, संरक्षित कामगारों के रूप में मान्यता प्राप्त कामगारों की सूची लिखित रूप में संघ को सूचित करेगा, जो ऐसे पत्राचार की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए मान्य होगा।

(3) जहां नियोक्ता को धारा (90) की उप-धारा (4) के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए स्वीकार्य संरक्षित कामगारों की अधिकतम संख्या से अधिक संख्या में कुल नाम प्राप्त होते हैं, नियोक्ता द्वारा केवल कामगारों की अधिकतम संख्या तक ही संरक्षित कामगारों को मान्यता दी जाएगी:

बशर्ते कि औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक से अधिक पंजीकृत ट्रेड यूनियन हैं, तो नियोक्ता द्वारा यूनियनों के बीच अधिकतम संख्या इतनी वितरित की जाएगी कि व्यक्तिगत यूनियनों में मान्यता प्राप्त संरक्षित कामगारों की संख्या व्यावहारिक रूप से यूनियनों की सदस्यता के आंकड़ों के समान एक दूसरे के अनुपात में होती है। नियोक्ता उस मामले में प्रत्येक संबंधित संघ के अध्यक्ष या सचिव को लिखित रूप में सूचित करेगा जो उसके लिए आवंटित संरक्षित कामगारों की संख्या है:

आगे यह कि इस उप-नियम के तहत एक संघ को आवंटित संरक्षित कामगारों की संख्या जहां संरक्षण चाहने वाले संघ के अधिकारियों की संख्या से कम हो जाती है, संघ उन अधिकारियों का चयन करने का हकदार होगा जिन्हें संरक्षित कामगार के रूप में मान्यता दी जानी है। ऐसे चयन संघ द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में नियोक्ता के पत्र की प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर नियोक्ता को सूचित किया जाएगा।

(4) जब इस नियम के अंतर्गत 'संरक्षित कामगारों' की पहचान से जुड़े किसी भी मामले में किसी नियोक्ता और किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद को संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) या क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) या सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) को भेजा जाएगा, जिसपर उनका निर्णय अंतिम होगा।

38. धारा 91 के अंतर्गत असंतुष्ट कामगार द्वारा शिकायत करने की प्रणाली- (i) संहिता की धारा 91 के अंतर्गत प्रत्येक शिकायत इलेक्ट्रॉनिक और पंजीकृत पद या स्पीड पोस्ट द्वारा **फॉर्म- XII** द्वारा किया जाएगा और उसके साथ शिकायत में उल्लिखित विपरीत पक्षों की संख्या के अनुसार प्रतियां होनी चाहिए।

(ii) उप-नियम (1) के अंतर्गत शिकायतकर्ता या सुलह अधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, जैसा भी मामला हो, मामले के तथ्यों से परिचित हो, को संतुष्ट करने वाले कामगार के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक शिकायत सत्यापित की जाएगी।

39. धारा 94 की उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए कामगारों को प्राधिकृत करने की प्रणाली- जहां कामगार किसी भी ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं है, तो, उद्योग में नियोजित किसी अन्य कामगार द्वारा या उसके साथ जुड़े किसी भी ट्रेड यूनियन के कार्यकारी या अन्य पदाधिकारी का कोई सदस्य जिसमें कामगार नियोजित हैं, ऐसे कामगार द्वारा किसी विवाद से संबंधित संहिता के तहत किसी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है जिसमें कामगार **फॉर्म-IV** में कोई पक्ष है।

40. धारा 94 की उप-धारा (2) के अंतर्गत किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व के लिए प्राधिकरण की प्रणाली- जहां नियोक्ता, नियोक्ताओं के किसी भी संघ का सदस्य नहीं है, वह **फॉर्म-IV** में प्राधिकृत कर सकता है, जो कि जुड़े हुए नियोक्ताओं के किसी भी संघ के एक अधिकारी या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा संलग्न है, वह उद्योग जिसमें नियोक्ता किसी पक्ष के विवाद से संबंधित संहिता के तहत किसी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए संलग्न है।

41. धारा 85 की उप-धारा के अंतर्गत जांच की प्रणाली-

शिकायत— (1) धारा 86 की उप-धाराओं (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) और (20) और धारा 89 की उप-धारा (7) के अंतर्गत किए गए अपराध की शिकायत मिलने पर उसको धारा 85 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारत सरकार के अवर सचिव के पद के समान या उससे उच्च अधिकारी (बाद में जांच अधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा जांच की जाएगी।

(2) नोटिस को जारी करना— यदि दायर की गई शिकायत को जांच अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो वह व्यक्ति या व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाने वाले नोटिस के माध्यम से और समाधान पोर्टल पर पोस्ट की जाने वाली एक प्रति के साथ सभी संबंधित दस्तावेजों और गवाहों, यदि कोई हो, के साथ एक निर्दिष्ट तिथि पर उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाएगा और ऐसी निर्दिष्ट तिथि को शिकायतकर्ता को सूचित करेगा।

(3) यदि व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जांच अधिकारी शिकायत की सुनवाई करने और एकपक्षीय निर्णय लेने के लिए कार्रवाई कर सकता है।

(4) यदि शिकायतकर्ता लगातार दो तारीखों को जांच अधिकारी को किसी सूचना के बिना निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो शिकायत को खारिज किया जा सकता है :

बशर्ते कि शिकायतकर्ता और विपरीत पक्ष द्वारा किए गए संयुक्त आवेदन पर तीन से अधिक स्थगन न दिए जाएं।

इसके अतिरिक्त यह कि जांच अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष या किसी भी पक्ष, जैसा भी मामला हो, को सुनने के लिए अपने विवेक पर अनुमति दे सकते हैं।

(5) प्राधिकार प्रदान करना— धारा 85 की उप-धारा (2) के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की ओर से प्रकट होने का प्राधिकार एक प्रमाण पत्र या इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, द्वारा दिया जाएगा जिसे सुनवाई अधिकारी को शिकायत की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और उसे अभिलेख का हिस्सा बनाया जाएगा।

(6) प्रकट होने की अनुमति— कोई भी व्यक्ति जो शिकायतकर्ता की ओर से कार्यवाही में उपस्थित होने का विचार रखता है, वह जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होगा और अपनी उपस्थिति का कारण बताते हुए एक संक्षिप्त लिखित विवरण प्रस्तुत करेगा। जांच अधिकारी बयान पर एक आदेश रिकॉर्ड करेगा और इनकार करने के मामले में उसके कारण शामिल करेगा, और इसे रिकॉर्ड में शामिल करेगा।

(7) दस्तावेजों की प्रस्तुति— शिकायत से संबंधित शिकायत या अन्य दस्तावेज जांच अधिकारी द्वारा निर्धारित घंटों के दौरान किसी भी समय जांच अधिकारी को स्वयं प्रस्तुत किए जा सकते हैं, या उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जा सकता है।

(8) जांच अधिकारी, प्रत्येक दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण या प्राप्ति की तारीख का सत्यापन या सत्यापन किए जाने वाले कारण, या जैसा भी मामला हो, को सत्यापित करेगा। यदि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, तो ऐसा कोई सत्यापन अपेक्षित नहीं होगा।

(9) शिकायत पर विचार करने से मना करना—

(i) जांच अधिकारी धारा 85 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई शिकायत पर विचार करने से मना कर सकता है यदि शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद, जांच अधिकारी संतुष्ट है, तो कारणों के लिए लिखित में दर्ज किया जाना है कि-

(क) शिकायतकर्ता शिकायत प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है; या

(ख) इस संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत शिकायतकर्ता को परिसीमन द्वारा रोक दिया जाता है।

(ग) शिकायतकर्ता धारा 85 की उपधारा (2) के तहत जांच अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।

(ii) जांच अधिकारी शिकायत का पर विचार करने से इनकार कर सकता है, जो अन्यथा अपूर्ण है। वह शिकायतकर्ता से दोषों को ठीक करने के लिए कह सकता है और यदि जांच अधिकारी को लगता है कि शिकायत को ठीक नहीं किया जा सकता है तो वह दोषों को दर्शाने वाली शिकायत वापस कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है, तो दोषों को दर्शाते हुए उसे वापस कर देगा। दोषों को ठीक करने के बाद, यदि शिकायत को फिर से प्रस्तुत किया जाता है, तो अभ्यावेदन की तारीख को धारा 85 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ प्रस्तुति की तारीख माना जाएगा।

(10) कार्यवाहियों के अभिलेख— जांच अधिकारी सभी मामलों में विवरण सहित आदेश पारित करने के समय विवरण, अर्थात् शिकायत की तारीख, शिकायतकर्ता का नाम और पता, विपरीत पक्ष या पक्षों का नाम और पता, किए गए अपराध का खंड-वार विवरण, विपरीत पक्ष की दलील, कारण के निष्कर्षों एवं परिणाम का संक्षिप्त विवरण और हस्ताक्षर, तिथि के साथ लगाए गए अर्थ-दंड का उल्लेख करेगा।

(11) शक्तियों का प्रयोग— सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों के प्रयोग में जांच अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के प्रासंगिक आदेशों द्वारा कार्य-प्रणाली के संबंध में उसके मूल-भाव को प्रभावित किए बिना, जैसा जांच अधिकारी आवश्यक समझे, उन्हे मामले को आत्मसात करने और ऐसे मामले से बचाने के लिए जहां वे इस संहिता या इन नियमों के व्यक्त प्रावधानों के विरुद्ध हैं, ऐसे बदलावों के साथ निर्देशित किया जाएगा।

(12) आदेश या निर्देशन कब किया जाना है- जांच अधिकारी मामले को सुनने के बाद इस प्रयोजनार्थ निर्धारित किए जाने वाले भविष्य की तारीख पर आदेश या निर्देशन का आदेश दे सकता है।

(13) दस्तावेजों का निरीक्षण- कोई व्यक्ति, जो या तो शिकायतकर्ता हो या विपरीत पक्ष का हो या उसका प्रतिनिधि या उप-धारा (3) के अंतर्गत दी गई अनुमति के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी भी शिकायत या पूछताछ अधिकारी के साथ दायर किए गए किसी दस्तावेज को उस मामले में, जिसमें वह पक्षकार है, का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

42. धारा 99 की उप-धारा 2 के खंड (ययच) के अंतर्गत महानिदेशक, श्रम ब्यूरो, के कार्यालय को प्रत्येक फॉर्म की प्रति की प्रस्तुति- फॉर्म VII (हड़ताल का नोटिस), फॉर्म VIII (तालाबंदी का नोटिस), फॉर्म IX (केंद्रीय सरकार को छटनी या बंद करने की सूचना के लिए नोटिस), फॉर्म X (नौकरी से हटाने या छटनी या बंद करने की अनुमति के लिए आवेदन), और फॉर्म XI (अपराधों की कंपाउंडिंग), की एक-एक प्रति को ऑटो मोड में महानिदेशक, श्रम ब्यूरो के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा किया जाएगा।

फॉर्म-I**(नियम 2 देखें)**

(सुलह के दौरान नियोक्ता और उनके कामगारों के मध्य हुए समझौता/या सुलह प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से हुए समाधान का ज्ञापन))

पक्षों का नाम:

..... नियोक्ता का प्रतिनिधि

..... कामगार का प्रतिनिधि

मामले के संक्षिप्त विवरण

.....

समझौते की शर्तें

.....

पक्षों के हस्ताक्षर

साक्षी:

(1)

(2)

*सुलहकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

यदि नियोक्ता और उसके कामगारों के मध्य निपटान हो जाता है अन्यथा समझौते के दौरान होने वाली की कार्यवाही के मामले में ज्ञापन की प्रति संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त (कें.) को भेजा जाएगा।

फॉर्म-II**(नियम 16 देखें)**

(नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित सेवा शर्तों में परिवर्तन की सूचना)

नियोक्ता का नाम.....

पता.....

दिनांक.....20..... दिन.....

औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 40(1) के अनुसार मैं/हम सभी संबंधितों को यह सूचित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम इस संहिता की तीसरा अनुसूचि में निर्दिष्ट किए गए मामले के संबंध में कामगारों पर सेवा शर्तों मेंसे अनुबंध में परिवर्तन /परिवर्तनों को लागू करना चाहता हूँ/चाहते हैं।

हस्ताक्षर.....

पद.....

अनुबंध

(प्रभावित होने के प्रयोजनार्थ उल्लिखित परिवर्तन)

प्रति अग्रेषित:

1. पंजीकृत व्यापार संघ के सचिव, यदि कोई हो
2. संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त

फॉर्म-III**(स्वैच्छिक मध्यस्थता के लिए समझौता)****(नियम 17 देखें)**

.....नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षों का नाम और

..... कामगार का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षों का नाम

के बीच

निम्नलिखित विवाद को मध्यस्थता के लिए[यहां मध्यस्थ के नाम और पते का उल्लेख करें] को भेजने पर सहमति हुई है।

(i) विवाद के विनिर्दिष्ट मामले

(ii) शामिल प्रतिष्ठान या उपक्रम का नाम और पता सहित विवाद के पक्षों का विवरण

(iii) कामगार का नाम, यदि वह स्वयं विवाद में शामिल हो या यूनियन, यदि कोई हो जो प्रश्नगत कामगार या कामगारों का प्रतिनिधित्व करता हो, का नाम

(iv) प्रभावित उपकर में नियोजित कामगारों के कुल संख्या

(v) विवाद से प्रभावित कामगार या सम्भव होने वाले प्रभावित की अनुमानित संख्या

*हम सहमत हैं कि मध्यस्थों के अधिकांश निर्णय हम पर बाध्यकर है यदि मध्यस्थ अपने विवाचन में बराबर विभाजित होते हैं तो वह मध्यस्थ के रूप में एक अन्य व्यक्ति नियुक्त करेंगे जिसके निर्णय हम पर बाध्यकर होंगे।

केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकारिक राजपत्र में इससमझौते के प्रकाशन के दिनांक से (पार्टी द्वारा समझौते की अवधि उल्लिखित करें)की अवधि के भीतर या लिखित रूप में हमारे मध्य आपसी समझौते द्वारा आगे बढ़ाए गए समय के भीतर मध्यस्थ अपना निर्णय लेना होगा यदि, उपर्युक्त उल्लिखित अवधि के भी निर्णय नहीं किया गया तो मध्यस्थ का संदर्भ स्वतः खारिज हो जाएगा और इम नए मध्यस्थ से निपटान के लिए मुक्त हो जाएंगे।

कामगारों के प्रतिनिधित्व/कामगार/ नियोक्ता के प्रतिनिधित्व पार्टी के हस्ताक्षर

साक्षी:

1.

2.

प्रति: (i) सुलह अधिकारी [(संबंधित क्षेत्र के लिए सुलह अधिकारी का कार्यालय पता लिखें]

(ii) सचिव, भारत सरकार श्रम मंत्रालय।

फॉर्म - IV**(नियम 19, नियम 38 और नियम 39 देखें)**

(इस संहिता के अंतर्गत प्राधिकारी के समक्ष कार्रवाई में प्रतिनिधित्व करने वाले कामगार, कामगार के समूह, नियोक्ता, नियोक्ता के समूह के द्वारा प्राधिकार प्रदान करना)

प्राधिकारी के समक्ष

(यहां संबंधित प्राधिकारी का उल्लेख करें)।

इस संबंध में :

(कार्रवाई का नाम उल्लिखित करें)

.....कामगार

बनाम

.....नियोक्ता

मैं / हम श्री/श्रीमती 1.2.3. (यदि एक से अधिक प्रतिनिधित्व हैं) को उपर्युक्त मामले में प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत करता हूं/करते हैं।

दिनांकदिन.....20.....

मनोनीत प्रतिनिधि (यों) के हस्ताक्षर

मान्य पता

फॉर्म-V**(नियम 20 और देखें 21)**

राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के लिए पद के शपथ का प्रपत्र (जो लागू हो)

मैं क.ख. राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य / प्रशासनिक सदस्य (जो लागू हो) के रूप में नियुक्त किए जाने पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ / ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी अधिकतम क्षमता / ज्ञान और विवेक से किसी भय या पक्षपात, राग या द्वेष के बिना न्यायिक सदस्य/ राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण का नाम) के प्रशासनिक सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करूंगा और संविधान और कानून के अनुसार कार्य करूंगा।

(हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

फॉर्म-VI**(नियम 22 देखें)**

(सुलह अधिकारी द्वारा मामले का निपटान नहीं होने पर न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन)

.....(यहां संबंधित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधिकरण के नाम का उल्लेख करें) के समक्ष।

.....आवेदक

पता.....

बनाम

.....विपक्षी पार्टी

पता.....

उपर्युक्त आवेदक के मामले में निम्नलिखित का उल्लेख करना चाहता हूँ :

(यहां मामले के प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को उल्लिखित करें)।

आवेदक इस मामले को न्यायिक निर्णय के लिए स्वीकार करने और उचित निर्णय जारी करने का अनुरोध करता है।

दिनांक

स्थान

फॉर्म-VII**(नियम 23 देखें)**

(यूनियन (यूनियन का नाम)/ कामगारों के समूह द्वारा की जाने वाली हड़ताल की सूचना)

कामगारों के पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम.....

दिनांकदिन20.....

सेवा में,

(नियोक्ता का नाम)

महोदय/महोदया,

औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 62 की उप-धारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुबंध में बताए गए कारणों के लिए मैं/हम आपको सूचना देते हैं कि हम दिनांक.....20..... को हड़ताल का आह्वान करते हैं।

भवदीय,

(यूनियन का सचिव)

संलग्न संकल्प के तहत(दिनांक)

को आयोजित बैठक में निर्वाचित

कामगारों के पांच प्रतिनिधित्व

अनुबंध
मामले का विवरण

प्रति:

- 1) संबंधित क्षेत्र के उप मुख्य श्रम आयुक्त (कें.)
- 2) मुख्य श्रम आयुक्त (कें.) नई दिल्ली।

फॉर्म-VIII

(नियम 24 देखें)

(औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियोक्ता द्वारा की जाने वाली तालाबंदी की सूचना)

नियोक्ता का नाम

.....

पता.....

....

दिनांकका दिन.....20.....

संहिता की 62(6) के प्रावधानों के अनुसार मैं/हम सभी संबंधित को सूचना देते हैं कि अनुबंध में बताए गए कारणों के लिएसे मेरे/ हमारे द्वारा प्रतिष्ठान के विभाग (गों)में तालाबंदी करने का विचार है।

हस्ताक्षर.....

पद.....

अनुबंध

1.	कारणों का विवरण

प्रति अग्रेषित :

- (1) पंजीकृत यूनियन के सचिव अगर कोई हों।
- (2) सुलह अधिकारी[यहां संबंधित क्षेत्र के सहायक श्रम आयुक्त (.कें) उप मुख्य श्रम आयुक्त/ क्षेत्र श्रम आयुक्त/ के कार्यालय का पता लिखें।
- (3) मुख्य श्रम आयुक्त नई दिल्ली। (.कें)
- (4) डीजी श्रम ब्यूरो का कार्यालय।

फॉर्म - IX

(नियम 25 और 27 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय IX और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को एक नियोक्ता द्वारा छंटनी/बंद की जाने वाली सूचना का नोटिस)

(ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाए। अत्यावश्यकता मामले में, नीचे दिए गए निर्धारित प्रारूप में पेपर पर)

औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता का नाम-----

श्रमिक पहचान संख्या-----

तारीख-----

(नोट: समूचित सरकार को बंदी/छंटनी के लिए सूचना क्रमशः 60 दिन और बंदी/छंटनी के आरंभ होने से 30 दिन पहले दी जानी चाहिए)

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली

1. *(छंटनी) (क) इस संहिता की धारा (ग) के तहत मैं/हम यहां आपको सूचित करते हैं कि मैं/हमने-----
(दिन/माह/वर्ष/) से कुल-----कामगारों** में से-----कामगारों की छंटनी करने का निर्णय लिया है।

या

* (बंदी) (ख) इस संहिता की धारा 74 (1) के तहत मैं/हम यहां आपको सूचित करते हैं कि मैं/हमने----- (औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम का नाम) को----- (दिन/माह/वर्ष) से बंद करने का निर्णय लिया है। उन कामगारों की संख्या, जिनकी सेवाएं औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम के बंद होने के कारण समाप्त हो जाएगी----- (कामगारों की संख्या) है। छंटनी/बंदी का कारण है-----

2. छंटनी/बंदी का कारण है -----

3. इस संहिता की धारा 70 (क)*/ धारा 75 (1)* के तहत संबंधित कामगारों को ----- (दिन/माह/वर्ष) से एक महीने का आवश्यक नोटिस लिखित में दिया गया है।

या

संबंधित कामगारों को इस संहिता की धारा 70 (क)/ धारा 75 (1)* के तहत आवश्यक नोटिस के एवज में----- (दिन/माह/वर्ष) को एक माह का वेतन दिया गया

4. *मैं / हम* इस बात की घोषणा करते हैं कि संबंधित कामगारों को नोटिस अवधि समाप्ति पर या पहले इस संहिता की धारा 75* / धारा 70* के तहत उनको दिए जाने वाले बकाया प्रतिकर सहित उनके सभी देय का भुगतान कर दिया गया है/करेंगे।

या

मैं / हम यहां उल्लेख करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान / उपक्रम / नियोक्ता के संबंध में दिवालियापन की कार्यवाही जारी है, तथा यह कि *मैं / हम* संबंधित कानूनों के तहत प्रतिकर के साथ सभी बकाया राशि का भुगतान करेंगे।

5. (छंटनी) मैं / हम इस बात की घोषणा करते हैं कि इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में संबंधित कामगारों की छंटनी की गई है/की जाएगी।

6. मैं* / हम* इस बात की घोषणा करते हैं कि इस विषय में कोई कोर्ट केस किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है, और यदि हां, तो उसका विवरण अनुलग्नक में है।

7. मैं* / हम* इस बात की घोषणा करते हैं कि इस नोटिस और अनुलग्नक में मेरे* / हमारे* द्वारा ऊपर दी गई सूचना सही है, मैं* / हम* इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और इस विषय में किसी तथ्य / प्रमाण को छुपाया नहीं गया है

भवदीय

(मोहर सहित नियोक्ता / अधिकृत प्रतिनिधि का नाम)

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

(**आंकड़ों और शब्दों दोनों में संख्या इंगित करें)

(*** नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

प्रतिलिपि:

(1) महानिदेशालय श्रम ब्यूरो का कार्यालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (केवल सांख्यिकी प्रयोजन के लिए)

(2) संबंधित क्षेत्र के उप-मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)

(3) (3) प्रतिष्ठानों या उपक्रमों में कार्यरत कामगारों के पंजीकृत संघ / प्राधिकृत प्रतिनिधि।

फॉर्म-X**(नियम 28, 29, 31 और 33 देखें)**

[औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय X के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार का नियोक्ता / औद्योगिक प्रतिष्ठान/ उपक्रम द्वारा दिए गए कामबंदी /के जारी रहने / छंटनी / तालाबंदी का अनुमति के लिए आवेदन]

(ऑन लाइन जमा किया जाना है। अनिवार्यता के मामले में निम्न निर्धारित प्रारूप में लिखित में)

औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता का नाम.....

श्रमिक पहचान संख्या.....

दिनांक:.....

(टिप्पणी: निम्न दर्शाए गए रूप में केंद्रीय सरकार को आवेदन देना होगा:

कामबंदी-आशमित कामबंदी से पहले कम से कम 15 दिन

कामबंदी जारी रहना – पिछले कामबंदी की समाप्ति से कम से कम 15 दिन

छंटनीछंटनी के आशमित दिनांक से पहले कम से कम 60 दिन

तालाबंदी – तालाबंदी के आशमित दिनांक से पहले कम से कम 90 दिन)

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,

नई दिल्ली।

1. *(कामबंदी) (क) औद्योगिक संहिता, 2020 की धारा 78(2) के अंतर्गत मैं/ /हम*(दिन /माह/ वर्ष) से मेरे / अपने प्रतिष्ठानों में नियोजित कुल.....कामगारों में से.....कामगारों के कामबंदी की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं।

या

*(कामबंदी के जारी रहने) (ख) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78(3) के अंतर्गत मैं / हम(दिन/माह/वर्ष) से मेरे /हमारे प्रतिष्ठानों (अनुबंध -I में विवरण दिए जाएं) में कुल..... कामगारों में सेकामगारों के कामबंदी के जारी रहने को अनुमति के लिए आवेदन करते हैं।

या

*(छंटनी) (ग) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 79(2) के अंतर्गत मैं / हम(दिन/माह/वर्ष) से मेरे /हमारे प्रतिष्ठान (अनुबंध - I में विवरण दे) में कुल..... कामगारों में सेकामगारों की छंटनी की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं।

या

(तालाबंदी) (घ) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 80(1) के अंतर्गत मैं/हम यह सूचित करते हैं कि मैं/ हम(दिन /माह/वर्ष) से उपक्रम.....(औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता के नाम) (अनुबंध-I में विवरण दें) तालाबंदी करने की इच्छा रखते हैं। उपक्रम के बंद होने पर जिनकी सेवा बंद हो जाएगी उनकी संख्या.....है (कामगारों की संख्या)।

2. *(तालाबंदी/तालाबंदी की निरंतरता) इस संहिता की धारा 78 (2)*/ धारा 78(3) के(दिन /माह/वर्ष) के अंतर्गत कामगार संबंधित दी गई सूचना लिखित रूप में भी अपेक्षित है।

या

(छंटनी/बंदी) इस संहिता की धारा 79/धारा 80 के अंतर्गत कामगार संबंधित दी गई(दिन /माह/वर्ष) की सूचना लिखित रूप में भी अपेक्षित है।

या

(छंटनी/बंदी) इस संहिता की धारा 79/धारा 80 के अंतर्गत कामगार को(दिन /माह/वर्ष) की नोटिस के सामने वेतन देना अपेक्षित है।

3. अनुबंध II में प्रभावित कामगारों का ब्यौरा है।

4. (छंटनी) मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में संबंधित कामगार छांट दिए जाएंगे।

5. मैं/हम यह घोषित करते हैं कि समाप्ति अवधि पर या पहले इस संहिता की धारा 78(10)*/धारा 79*/धारा 80* के साथ धारा 67 के अंतर्गत संबंधित कामगारों को बकाया और बकाया मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है।

या

*मैं/हम यह घोषित करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान / उपक्रम / नियोक्ता के संबंध में दिवालिया कार्यवाही जारी है और मैं / हम संबंधित कानूनों के तहत मुआवजे के साथ सभी देय राशि का भुगतान करेंगे।

या

6. मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ कि / करते हैं कि इस मामले से संबंधित कोई मामला किसी न्यायालय में नहीं है और यदि है तो उसका ब्यौरा संलग्न है।

7. मैं/हम यह घोषित करते हैं कि इस नोटिस और संलग्नक में मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी सत्य है। मैं/हम इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और मामले में कोई तथ्य /सामग्री छिपाई नहीं गई है।

कृपया मांगी गई अनुमति प्रदान की जाए।

भवदीय

(मोहर सहित नियोक्ता /अधिकृत प्रतिनिधि का नाम)

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

(**आंकड़ों और शब्दों दोनों में संख्या इंगित करें)

(*** नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

अनुबंध ।

(कृपया प्रत्येक मद के सामने उत्तर दें)

1.	पूरा डाक पता, ई-मेल, मोबाइल तथा लैंड लाइन सहित उपक्रम का नाम	
2.	उपक्रम की स्थिति --- (i) क्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र/ इत्यादि (ii) क्या एक निजी लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/साझेदारी फर्म (iii) क्या उपक्रम के पास लाइसेंस है। पंजीकरण है और यदि हां तो, लाइसेंस देने / पंजीकरण करने वाली प्राधिकरण का नाम और लाइसेंस /पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या	
3.	(क) एमसीए संख्या (ख) जीएसटीएन संख्या	
4.	(i) पिछले तीन वर्षों के लिए मदवार वार्षिक उत्पादन - (ii) पिछले 12 माह के लिए उत्पादन संबंधी माहवार ब्यौरे	
5.	पिछले तीन वर्षों के लिए बैलेंस शीट, लाभ और हानि संबंधी ब्यौरे सहित प्रतिष्ठान / उपक्रम की लेखा परीक्षा रिपोर्ट	संलग्न करना है
6.	एक ही प्रबंधन के तहत अंतः संबद्ध कंपनियों या कंपनियों के नाम	
7.	प्रत्येक ऐसी छंटनी/सेवा समाप्ति/ छंटनी की निरंतरता में शामिल ऐसी छंटनी/सेवा-समाप्ति की कामगारों की संख्या सहित पिछले तीन वर्षों में की गई छंटनी / सेवा समाप्ति का ब्यौरा	
8.	किसी भी अन्य प्रासंगिक विवरण, जिसका असर छंटनी / छंटनी की निरंतरता / सेवा समाप्ति / बंद होने पर है।	

अनुबंध II

(प्रभावित कामगारों का ब्यौरा)

क्र.सं.	यूएन/सीएमपीएफओ	कामगार का नाम	वर्ग अतिकुशल/ कुशल/अर्ध कुशल/ अकुशल	संबंधित प्रतिष्ठान /उपक्रम/नियोक्ता के साथ सेवा की तिथि	आवेदन की तारीख के अनुसार वेतन	टिप्पणियां
1						
2						
3						

फॉर्म -XI

(नियम-36 देखें)

इस संहिता के तहत नियोक्ता जो पहली बार उल्लंघन करता है, धारा 89 की उप-धारा (4) के उल्लंघन के परिशमन के लिए नोटिस औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89 की उप-धारा 1 के तहत अधोहस्ताक्षरी और परिशमन अधिकारी, इसके द्वारा यह सूचित करता है कि इस संहिता के विभिन्न प्रावधान के उल्लंघन के लिए नीचे दिए गए विरण के अनुसार आरोप लगाया गया है:-

भाग-I

1. उल्लंघन करने वाले नियोक्ता का नाम और पता -----
2. प्रतिष्ठान का नाम -----
3. अपराध का विवरण -----
4. संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है -----
5. अपराध की संरचना के लिए भुगतान की जाने वाली परिशमन राशि -----

भाग-II

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89 के अनुसार अपराध के परिशमन के लिए, आपको इस नोटिस के भाग-III में भरे गए आवेदन इस नोटिस के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपयुक्त राशि जमा करने की सलाह दी जाती है।

यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो आगे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा और धारा --- के तहत अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा।

(कंपाउंडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख: -----

स्थान: -----

भाग-III**अपराध की कंपाउंडिंग के लिए धारा 89 की उप-धारा (4) के तहत आवेदन**

1. आवेदक का नाम (औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत नियोक्ता जिसने अपराध किया है का नाम निर्दिष्ट करना है) --

2. आवेदक का पता -----
3. उल्लंघन का विवरण-----
4. संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है -----
5. जमा की गई प्रशमन राशि का ब्यौरा (इलैक्ट्रॉनिक रूप से सृजित रसीद संलग्न करें) -----

6. अभियोजन का ब्यौरा, उपर्युक्त उल्लिखित अपराधों के उल्लंघन के लिए यदि दर्ज है को दिया जा सकता है -----

7. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था, यदि किया था, तो, इस अपरोध का पूरा ब्यौरा दें -----

8. अन्य कोई सूचना जिसका आवेदक प्रदान करने का इच्छुक है -----

आवेदक

(नाम और हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

फॉर्म-XII**(नियम 38 देखें)**

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 91 के तहत शिकायत)

सुलह अधिकारी/मध्यस्थ/ न्यायधिकरण या राष्ट्रीय न्याधिकरण ----- के समक्ष,

इस विषय में ----- संदर्भ संख्या -----

क ----- शिकायतकर्ता

बनाम

ख ----- विपक्षी दल

व्याख्यान: याचिकाकर्ताओं द्वारा औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 90 के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर विपक्षीदल के दोषी होने की शिकायत की है/ की गई है। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(यहां कथित तौर पर उल्लंघनों को उस तरीके से बताया गया है जिस प्रकार वह घटित हैं और प्रबंधन के आदेश या कानून को किस आधार पर चुनौती दी गई है)।

शिकायतकर्ता तदनुसार सुलह अधिकारी /अध्यस्थ/ औद्योगिक न्याधिकरण या राष्ट्रीय न्याधिकरण ऊपर उल्लिखित शिकायत को तय करने के लिए प्रार्थना कर सकता है तथा ऐसे आदेश या उस पर आदेश पारित कर सकता जो सही और उचित हो सकते हैं।

औद्योगिक संबंध संहिता की नियम 91 के तहत शिकायत ओर उसके अनुबंध की आवश्यक प्रतिलिपियों इसके साथ जमा की जाती है।

यह दिनांक ----- दिन -----20 ----- शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं निष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूं कि ऊपर पैराग्राफ----- में जो कहा गया है वह मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और यह कि ऊपर पैराग्राफ -----में जो कहा गया है वह प्राप्त सूचना पर आधारित है और मेरे विश्वास के अनुसार सत्य है। इस सत्यापन पर मेरे द्वारा वर्ष 20----- के-----में दिन -----में हस्ताक्षर किया जाता है।

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप

[फा. सं. जैड-20025/26/2015-एलआरसी]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th October, 2020

G.S.R. 684(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 99 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897(10 of 1897) and in supersession of the –

- (i) the Industrial Tribunal (Procedure) Rules, 1949;
- (ii) the Industrial Tribunal (Central Procedure) Rules, 1954;
- (iii) the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957; and
- (iv) the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby notified, as required by sub-section (1) of said section 99, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Sanjeev Nanda, Under Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment, Room No. 17, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001 or by email – sanjeev.dom@nic.in. The objections and suggestions should be sent in a proforma containing columns (i) specifying the name and address of the person/organization and column (ii) specifying the rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (iii) specifying the revised rule or sub-rule proposed to be substituted and reasons therefor;

Objections and suggestions, which may be received from any person or organization with respect to the said draft notification before expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES**CHAPTER - I****PRELIMINARY**

1. Short title, application and commencement- (i) These rules may be called The Industrial Relation (Central) Rules, 2020.

(ii) They extend to whole of India including Union territories except Union Territories which have their respective legislature in respect to the industrial establishments and matters for which the Central Government is the appropriate Government.

(iii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

1A. Definition.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Code" means the Industrial Relations Code, 2020;
- (b) "section" means the section of the Code;
- (c) "electronically" means any information submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of Code;

(2) The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the Code, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code.

2. Written Agreement for the settlement before the Conciliation Officer under clause (zi) of Section 2.- The Agreement under clause (zi) of Section 2 for written agreement between the employer and worker shall be in the form specified in **Form-I** and shall be signed by the parties in the agreement and a copy thereof shall be sent to the concerned Conciliation Officer.

Chapter II**BI-PARTITE FORUMS**

3. Constitution of Works Committee etc. under Section 3.- (1) Every employer to whom an order made under sub-section (1) of section 3 relates, shall forthwith proceed to constitute a Works Committee in the manner as is specified in the following sub-rules:-

(2) The number of members constituting the Committee shall be fixed so as to afford representation to the various categories, groups and class of workers engaged in, and to the sections, shops or departments of the establishment:

Provided that the total number of members of the Works Committee shall not exceed twenty:

Provided further that the number of representatives of the worker in the Works Committee shall not be less than the number of representatives of the employer therein.

(3) Subject to the provisions of this rule, the representatives of the employer in the Works Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with, or associated with, the working of the industrial establishment.

(4) (a) Where any workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union, the employer shall ask such Trade Union to inform him in writing as to –

(i) How many of the workers are members of such Trade Union; and

(b) Where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union is false, he may, after informing such Trade Union, refer the matter to the Regional Labour Commissioner (Central), who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final.

(5) On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the selection of worker's representative on the Committee in two following groups, namely:-

(a) registered Trade Union may choose their representatives as members for works committee in the proportion of their membership.

(b) where there is no registered Trade union, workers may choose amongst themselves representatives for works committee.

(6) (a) The Works Committee shall have among its office-bearers a Chairman, a Vice-Chairman, a Secretary and a Joint-Secretary. The Secretary and the Joint-Secretary shall be elected every year.

(b) the Chairman shall be nominated by the employer from amongst the employer's representatives on the Works Committee and he shall, as far as possible, be the head of the industrial establishment;

(c) the Vice-Chairman shall be elected by the members, on the Works Committee representing the workers, from amongst themselves:

Provided that in the event of equality of votes in the election of the Vice- Chairman, the matter shall be decided by draw of a lot:

(d) the Works Committee shall elect the Secretary and the Joint Secretary provided that where the Secretary is elected from amongst the representatives of the employers, the Joint Secretary shall be elected from amongst the representatives of the worker and vice versa:

Provided that the post of the Secretary or the Joint Secretary, as the case may be, shall not be held by a representative of the employer or the worker for two consecutive years:

Provided that the representatives of the employer shall not take part in the election of the Secretary or Joint Secretary, as the case may be, from amongst the representatives of the worker and only the representatives of the worker shall be entitled to vote in such elections.

(e) In any election under clause (d), in the event of equality of votes, the matter shall be decided by a draw of lot.

(7) (a) the term of office of the representatives on the Works Committee other than a member chosen to fill a casual vacancy shall be two years;

(b) A member chosen to fill a casual vacancy shall hold office for the unexpired term of his predecessor;

(c) A member who without obtaining leave from the Works Committee, fails to attend three consecutive meetings of the Committee shall forfeit his membership.

(8) In the event of worker's representative ceasing to be a member under clause (c) of sub-rule (7) or ceasing to be employed in the establishment or in the event of his resignation, death or otherwise, his successor shall be chosen in accordance with the provisions of this rule from the same group to which the member vacating the seat belonged.

(9) The Works Committee shall have the right to co-opt in a consultative capacity, persons employed in the industrial establishment having particular or special knowledge of a matter under discussion. Such co-opted member shall not be entitled to vote and shall be present at meetings only for the period during which the particular question is before the Works Committee.

(10)(a) the Works Committee may meet as often as necessary but not less often than once in three months.

(b) the Works Committee shall at its first meeting regulate its own procedure.

(11) (a) the employer shall provide accommodation for holding meetings of the Works Committee. He shall also provide all necessary facilities to the Works Committee and to the members thereof for carrying out the work of the Works Committee. The Works Committee shall ordinarily meet during working hours of the industrial establishment concerned on any working day and the representative of the worker shall be deemed to be on duty while attending the meeting;

(b) the Secretary of the Works Committee may with the prior concurrence of the Chairman, put up notice regarding the work of the Works Committee on the notice board of the industrial establishment.

4. Manner of choosing members from the employers and the workers for Grievance Redressal Committee under sub-section (2) of section 4.- The Grievance Redressal Committee shall consist of equal number of members representing the employer and the workers, which shall not exceed ten.

(2) The representatives of the employer shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with or associated with the working of the industrial establishment, preferably the heads of major departments of the industrial establishment.

(3) The representatives of the workers shall be chosen by the registered Trade Union. In case where there is no registered Trade union the member may be chosen by the workers of the industrial establishment:

Provided that there shall be adequate representation of women workers in the Grievance Redressal Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment:

Provided further that the tenure of the members of the Grievance Redressal Committee shall be co-terminus with the tenure of the members of the registered Trade Union.

Provided further that in the absence of registered Trade Union, the tenure of members of Grievance Redressal Committee shall be for a period of two years from the date of the constitution of the Grievance Redressal Committee.

(4) Where any workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union, the employer shall ask such Trade Union to inform him in writing as to –

(a) how many of the workers are members of such Trade Union;

(b) Where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union is false, he may, after informing such Trade Union, refer the matter to the Regional Labour Commissioner (Central) who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final.

(5) On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the selection of worker's representative on the Committee by two following groups, namely:-

(a) registered Trade Union may choose their representatives as members for Grievance Redressal Committee in the proportion of their membership.

(b) such workers those who are not member of registered Trade Union, may choose amongst themselves representatives for the Grievance Redressal Committee.

5. Application in respect of any dispute to be filed before the Grievance Redressal Committee by any aggrieved worker under sub-section (5) of section 4.- Any aggrieved worker may file an application stating his dispute therein before the Grievance Redressal Committee giving his name, designation, employee Code, Department where posted, length of service in years, category of worker, address for correspondence, contact number, details of grievances and relief sought. Such application may be sent electronically or otherwise. The Grievance may be raised within one year from the date on which the cause of action of such dispute arises.

6. Manner of filing application for the conciliation of grievance as against the decision of the Grievance Redressal Committee to the conciliation officer under sub-section (8) of section 4.- Any worker who is aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Committee or whose grievance is not resolved by the said Committee within thirty days of receipt of the application, may file an application through Samadhan Portal of the Ministry of Labour and Employment or by registered post or speed post within a period of sixty days from the date of the decision of the Grievance Redressal Committee or from the date on which the period specified in sub-section (6) of section 4 expires, as the case may be, to the conciliation officer through the Trade Union, of which he is a member or otherwise:

Provided that in case of manual receipt of such application through registered post or speed post, the conciliation officer shall get the same digitized and enter the particulars of the application in the online mechanism under intimation to the concerned worker.

Chapter III

STANDING ORDERS

7. Manner of forwarding information to certifying officer under sub-section (3) of section 30.-

(1) If the employer adopts the model standing order of the Central Government referred to in section 29 with respect to matters relevant to his industrial establishment or undertaking, then, he shall intimate the concerned certifying officer electronically the specific date from which the provisions of the model standing order which are relevant to his establishment have been adopted.

(2) On receipt of information in sub-rule (1) the certifying officer within a period of thirty days from such receipt may give his observation that the employer is required to include certain provisions which are relevant to his establishment and indicate those relevant provisions of the model standing orders which have not been adopted and shall also direct the employer to amend the standing order so adopted, by way of addition, deletion or modification within a period of thirty days from the date of the receipt of such direction and ask for compliance report only in respect of provisions which the certifying officer seeks to get so amended and such report shall be sent electronically by the employer.

(3) If no observation is made by certifying officer within a period of thirty days of the receipt of the information as specified in sub-rule (1) and (2), then, the standing order shall be deemed to have been adopted by the employer.

8. Manner of choosing representatives of workers of the industrial establishment or undertaking for issuing notice by certifying officer where there is no Trade Union operating, under clause (ii) of sub-section (5) of section 30. – Where there is no such Trade Union as is referred to in clause (i) of said sub-section (5), then, the certifying officer shall call a meeting of the workers to choose three representatives, to whom he shall, upon their being chosen, forward a copy of the standing order requiring objections, if any, which the workers may desire to make to the draft standing order to be submitted within fifteen days from the receipt of the notice.

9. Manner of authentication of certified standing orders under sub-section (8) of section 30.-

Standing orders or modification in the standing orders, certified in pursuance of sub-section (8) of section 30 or the copies of the order of the appellate authority under sub-section (1) of section 33 shall be authenticated by the certifying officer or the appellate authority, as the case may be, and shall be sent electronically within a week to all concerned, but there shall not be any requirement of certification in cases of deemed certification under sub-section (3) of section 30 and in cases where the employer has certified adoption of model standing orders.

10. Statement to be accompanied with draft standing orders under sub-section (9) of section 30.- A statement to be accompanied with-

(i) draft standing order shall contain, the particulars such as name of the industrial establishment or undertaking concerned, address, e-mail address, contact number and strength and details of workers employed therein including particulars of Trade union to which such workers belong; and

(ii) draft modification in the existing standing orders, shall contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provision of standing order in force and proposed modification therein and reasons thereof and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking.

11. Conditions for submission of draft standing order in similar establishment under sub-section (10) of section 30.- In cases of group of employer engaged in similar industrial establishment may submit a joint draft standing order under section 30 and for the purpose of proceedings specified in sub-sections (1), (5), (6), (8) and (9) thereof after consultation with the concerned Trade union.

Provided that the joint draft standing orders, in cases of group of employers engaged in similar industrial establishments, will be drafted and submitted to the Chief Labour Commissioner (Central) who shall, in consultation with the concerned certifying officers, certify or refuse to certify the said joint draft standing order, after recording reasons therefor.

12. Manner of disposal of appeal by appellate authority under section 32:-

(1) An employer or Trade Union desirous of preferring an appeal against the order of the certifying officer given under sub-section (5) of section 30 shall within sixty days of the receipt of such order shall draw up a memorandum of appeal in tabular form stating therein the provisions of the standing orders which are required to be altered or modified or deleted or added and reasons thereof and shall be filed electronically to the appellate authority.

(2) The appellate authority shall fix a date for the hearing of the appeal and direct notice thereof to be given –

- (a) where the appeal is filed by the employer or a worker, to Trade Union of the workers of the industrial establishment or to the representative body of the workers concerned or to the employer, as the case may be;
- (b) where the appeal is filed by a Trade Union, to the employer and all other Trade Unions of the workers of the industrial establishment; and
- (c) where the appeal is filed by the representative of the workers, to the employer and any other worker whom the appellate authority joins as a party to the appeal.

(3) The appellant shall furnish each of the respondents with a copy of the memorandum of appeal.

(4) The appellate authority may at any stage of the proceeding call for any evidence, if it considers necessary for the disposal of the appeal.

(5) On the date fixed under sub-rule (2) for the hearing of the appeal, the appellate authority shall take such evidence as it may have called or consider to be relevant if produced and after hearing the parties dispose of the appeal.

13. The language and the manner of maintaining standing order under sub-section (1) and (2) of section 33.- (1) The standing order finally certified by certifying officer shall be sent electronically except in the case of deemed certification under section 30.

(2) The text of the standing order as finally certified or deemed to have been certified or adopted model standing order under this Chapter shall be maintained by the employer in Hindi or in English and in the **official** language of the State where the industrial establishment is situated.

14. Register for final certified copy of Standing Order under section 34.- (1) The certifying officer shall maintain electronically, a register of all standing orders certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders of all the concerned industrial establishments, inter-alia, containing the details of –

- (a) the unique number assigned to each standing order;
- (b) name of industrial establishment;
- (c) nature of industrial establishment;
- (d) date of certification or deemed certification or date of adoption of model standing order by each establishment or undertaking;
- (e) the areas of the operation of the industrial establishment; and
- (f) such other details as may be relevant and helpful in retrieving the standing orders and create a data base of such of all standing orders.

(2) The certifying officer shall furnish a copy of the certified standing orders or deemed certifying orders to any person applying there for on payment of two rupees per page of the certified standing orders or deemed certified standing orders, as the case may be. The payment for such purpose can also be made through electronic mode.

15. Application for modification of Standing Order under sub-section (2) of section 35.- The application for modification of an existing standing order under sub-section (2) of section 35 shall be submitted electronically and contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provisions of standing order in force, and proposed modifications therein, reasons thereof and the details of registered Trade union(s) operating therein, and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking.

Chapter IV

NOTICE OF CHANGE

16. The manner of giving of notice for change proposed to be effected under clause (i) of section 40.- (1) Any employer intending to effect any change in the conditions of service applicable to any worker in respect of any matter specified in the Third Schedule to the Code, shall give notice in **Form-II** to such worker affected by such change.

(2) The notice referred in sub-rule (1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board at the main entrance of the industrial establishment and the office of the concerned Manager of the industrial establishment:

Provided that where there is a registered Trade Union or registered Trade Unions relating to the industrial establishment a copy of such notice shall also be served on the Secretary of such Trade Union or each of the Secretaries of such Unions, as the case may be.

Chapter V

VOLUNTARY REFERENCE OF DISPUTES TO ARBITRATION

17. Form of arbitration agreement and the manner thereof under sub-section (3) of section 42. -

(1) Where the employer and workers agree to refer the dispute to arbitration, the Arbitration Agreement shall be in **Form-III** and shall be signed by the parties to the agreement. The agreement shall be accompanied by the consent either in writing or electronically of arbitrator or arbitrators.

(2) The Arbitration Agreement referred to in sub-rule (1) shall be signed.-

(i) In case of an employer, by the employer himself, or when the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager or other officer of the corporation authorized for such purposes;

(ii) In the case of the workers by the officer of the registered Trade Union authorized in this behalf or by three representatives of the workers duly authorized in this behalf at a meeting of the concerned workers held for such purpose;

(i) In the case of an individual worker, an individual worker by the worker himself or by an officer of registered Trade Union of which the worker is a member:

Explanation.- (1) In this rule, the expression 'officer' means any officer of a registered Trade Union or an association of the employer authorized for such purpose;

(2) In this rule 'officer' means any of the following officers, namely:-

- a) the President;
- b) the Vice-President;
- c) the Secretary (including the General Secretary);
- d) a Joint Secretary; and
- e) any other officer of the Trade Union authorized in this behalf by the

President and Secretary of the union.

18. Manner of issue of notification under sub-section (5) of section 42.- Where an industrial dispute has been referred to arbitration and the Central Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party, it shall publish a notification in this behalf in the Official Gazette and electronically for the information of the employers and workers who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute and they may present their case before the arbitrator or arbitrators appointed for such purpose.

19. Manner of choosing representatives of workers where there is no Trade Union under sub-section (5) of section 42.- Where there is no Trade Union, the representative of workers to present their case before the arbitrator or arbitrators in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (5) of section 42, shall be chosen by a resolution passed by the majority of concerned workers in **Form-IV** authorizing therein to represent the case. Such workers shall be bound by the acts of representatives who have been authorized to represent before the arbitrator or arbitrators, as the case may be.

Chapter VI

MECHANISM FOR RESOLUTION OF INDUSTRIAL DISPUTES

20. Manner of filling up of the vacancy under sub-section (9) of Section 44 and procedure for selection, salaries and allowances and other terms and condition of Judicial Member of the National Industrial Tribunal under sub-section (6) of Section 46.- (1) The qualification for appointment of the Judicial Member of the National Industrial Tribunal (hereinafter in this chapter referred to as the judicial Member) shall be such as provided in sub-section (3) of section 46.

(2) The Judicial member shall be appointed by the Central Government on the recommendation of a Search Cum Selection Committee (SCSC) specified in sub-rule (3).

(3) The Search Cum Selection Committee shall comprise of the following members, namely:-

- (i) Chief Justice of India or a Judge of Supreme Court nominated by him-Chairperson;
- (ii) Sitting Judicial Member of the other National Industrial Tribunal – Member; (Presently, there are two National Tribunals, one at Kolkata and the other at Mumbai)
- (iii) Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment-Member; and
- (iv) Secretary to the Government of India, Department for Promotion of Industry and Internal Trade – Member,

(4) The Search-cum-Selection Committee (SCSC) shall determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account qualification, suitability, record of past performance, integrity as well as adjudicatory experience keeping in view of the requirement of the National Industrial Tribunal recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to each post.

(5) No appointment of a Judicial Member shall be declared invalid merely by reason of a vacancy or absence of any member in the Search-cum-Selection Committee.

(6) A Judicial Member shall hold office for a term of four years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.

(7) In case of casual vacancy in the office of Judicial Member, the Central Government shall appoint the Judicial Member of the other National Industrial Tribunal to officiate as Judicial Member.

(8) (a) A Judicial Member shall be paid a salary of rupees 2,25,000/- (fixed) per month and shall be entitled to draw allowances as are admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(b) In case of appointment of retired High Court Judge, his pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

(9) (a) In case of serving High Court Judges, the service rendered in the National Industrial Tribunal shall be counted for pension to be drawn in accordance with the extant rules of the service to which they belong and they shall be governed by the provisions of General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960 and the rules for pension applicable to them.

(b) In case of retired High Court Judges, they shall be entitled to join Contributory Provident Fund Scheme as per rules during the period of their re-employment and additional gratuity shall not be paid for the service rendered in the National Industrial Tribunal.

(10) A Judicial Member shall be entitled for rent free furnished accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(11) (a) In case of serving High Court Judges, leave shall be admissible as admissible to the serving High Court Judges.

(b) In case of retired High Court Judges, leave shall be admissible as are admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(12) (a) The Central Government shall be the leave sanctioning authority for the Judicial Member.

(b) The Central Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Judicial Member.

(13) Central Government Health Scheme facilities as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay shall be applicable.

(14) (a) Travelling allowance to a Judicial member shall be admissible as per entitlement of an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(b) In case of retired High Court Judges, transfer travelling allowance for joining the National Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(15) A Judicial Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(16) A Judicial Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(17) No person shall be appointed as Judicial Member unless he is declared medically fit by an authority specified by the Central Government in this behalf.

(18) (a) If a written and verifiable complaint is received by the Central Government, alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions as Judicial Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(b) If on preliminary scrutiny, the Central Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehaviour or incapacity of a Judicial Member, it shall make a reference to the Search-Cum-Selection Committee to conduct the inquiry.

(c) The Search-Cum-Selection Committee shall complete the inquiry within six months' time or such further time as may be specified by the Central Government.

(d) After conclusion of the inquiry, the Search-Cum-Selection Committee shall submit its report to the Central Government stating therein its findings and the reasons therefor on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.

(5) The Search-Cum-Selection Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

(19) A Judicial Member may, resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the Central Government:

Provided that the Judicial Member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of the office, whichever is earlier.

(20) (a) The Central Government shall, on the recommendation of Search-Cum-Selection Committee, remove from office any Judicial Member, who,-

- (a) has been adjudged as an insolvent; or
- (b) has been convicted of an offence which, involves moral turpitude; or
- (c) has become physically or mentally incapable of acting as such a Judicial Member; or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Judicial Member; or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that where a Judicial Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.

(21) Every person appointed as Judicial Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the **Form-V** annexed to these rules.

(22) Matter relating to the terms and conditions of services of the Judicial Member with respect to which no express provisions has been made in these rules, shall be referred by the Central Industrial Tribunal to the Central Government for its decision, and the decision of the Central Government thereon shall be binding.

(23) The Central Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.

21. Manner of filling up of the vacancy under sub-section (9) of Section 44 and procedure for selection, salaries and allowances and other terms and condition of Administrative Member of the National Industrial Tribunal under sub-section (6) of section 46.- (1) The qualification for appointment of the Administrative Member of the National Industrial Tribunal (hereinafter in this chapter referred to as Administrative Member) shall be such as given in sub-section (4) of section 46.

(2) (a) The Administrative Member shall be appointed by the Central Government on the recommendation of a Search Cum Selection Committee (SCSC) specified in sub-rule (3) of this rule.

(3) The Search Cum Selection Committee shall comprise of the following members, namely:-

- I. Chief Justice of India or a Judge of Supreme Court nominated by him-Chairperson;
- II. Sitting Administrative Member of the other National Industrial Tribunal – Member; (presently there are two National Tribunals, one at Kolkata and the other at Mumbai)
- III. Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment-Member; and
- IV. Secretary to the Government of India, Department for Promotion of Industry and Internal Trade – Member,

(4) The Search-cum-Selection Committee (SCSC) shall determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account qualification, suitability, record of past performance, integrity as well as experience keeping in view of the requirement of the National Industrial Tribunal and recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to said post.

(5) No appointment of Administrative Member shall be declared invalid merely by reason of one vacancy or absence of any Member in the Search-cum-Selection Committee.

(6) An administrative Member shall hold office for a term of four years or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.

(7) In case of casual vacancy in the office of Administrative Member, the Central Government shall appoint the Administrative Member of the other National Industrial Tribunal to officiate as Administrative Member.

(8) The Administrative Member shall be paid a salary of rupees 2,25,000/- (fixed) per month and shall be entitled to draw allowances as are admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay. In case of retired Government Officer, his pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

(9) (a) In case of serving Government Officer, the service rendered in National Industrial Tribunal shall be counted for pension to be drawn in accordance with the extant rules of the service which he belong and shall be governed by General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960.

(b) In case of retired Government Officers, they shall be entitled to join Contributory Provident Fund Scheme as per extant rules during period of their re-employment. Additional gratuity shall not be admissible for the service rendered by the Administrative Tribunal in National Industrial Tribunals.

(10) Administrative Member shall be entitled for rent free furnished accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(11) (a) In case of serving Government Officer, leave shall be admissible in accordance with the extant rules of the service which he belongs.

(b) In case of retired Government Officers, leave shall be admissible as are admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(12) (a) The Central Government shall be the leave sanctioning authority for the Member.

(b) The Central Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Administrative Member.

(13) Central Government Health Scheme facilities as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay shall be applicable.

(14) (a) Travelling allowance to an Administrative Member shall be admissible as per entitlement an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(b) In case of retired Government Officer, transfer travelling allowance for joining the National Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(15) An Administrative Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(16) An Administrative Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(17) No person shall be appointed as an Administrative Member, unless he is declared medically fit by an authority specified by the Central Government in this behalf.

(18) (a) If a written and verifiable complaint is received by the Central Government, alleging any definite charge of misbehaviour or incapacity to perform the functions as Administrative Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(b) If on preliminary scrutiny, the Central Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehaviour or incapacity of an Administrative Member, it shall make a reference to the Search-Cum-Selection Committee to conduct the inquiry.

(c) The Search-Cum-Selection Committee shall complete the inquiry within six months' time or such further time as may be specified by the Central Government.

(d) After conclusion of the inquiry, the Search-Cum-Selection Committee shall submit its report to the Central Government stating therein its findings and the reasons therefor on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.

(e) The Search-Cum-Selection Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

(19) An Administrative Member may, resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the Central Government:

Provided that the Administrative Member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of the office, whichever is earlier.

(20) The Central Government shall, on the recommendation of the Search-Cum-Selection Committee, remove from office any Administrative Member, who-

- (a) has been adjudged as an insolvent; or
- (b) has been convicted of an offence which, involves moral turpitude; or
- (c) has become physically or mentally incapable of acting as such Member; or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as an Administrative Member; or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that where an Administrative Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.

(21) Every person appointed as Administrative Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the **Form-V** annexed to these rules.

(22) Matter relating to the terms and conditions of services of the Administrative Member with respect to which no express provisions has been made in these rules, shall be referred by the National Industrial Tribunal to the Central Government for its decision, and the decision of the Central Government thereon shall be binding.

(23) The Central Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.

22. Manner of holding conciliation proceedings under sub-section (1), full report under sub-section (4), and application and the manner of deciding such application under sub-section (6) of section 53.- (1) Where any industrial dispute exists or is apprehended or a notice under section 62 has been given, the conciliation officer on receipt of such application shall examine the application and if he finds that the dispute pertains to the jurisdiction of State Government shall transfer the dispute to the concerned authority. In other cases, he will issue first notice to the parties concerned declaring his intention to commence conciliation proceedings.

(1) The employer or the workers representative in the first meeting shall submit their respective statement in the matter of said dispute.

(2) The conciliation officer shall hold conciliation proceedings for the purpose of bringing about a settlement of the dispute and may do all such things as he thinks fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement.

(2) If no such settlement is arrived at in the conciliation proceeding referred to in sub-rule (1), the conciliation officer shall submit a report on Samadhan Portal of the Ministry of Labour and Employment within seven days from the date on which the conciliation proceedings are concluded and made available on the said Samadhan Portal.

(3) The report referred to in sub-rule (2) shall be accessible to the parties concerned on the said Samadhan Portal.

(4) The report referred to in sub-rule (2) shall contain inter-alia the submissions of the employer, worker or Trade union, as the case may be, and it shall also contain the efforts made by the conciliation officer to bring the parties to the amicable settlement, reasons for refusal of the parties to resolve the dispute and the conclusion of the conciliation officer.

(5) Any dispute which is not settled during the conciliation proceedings, then, either of the concerned party may make an application in **Form-VI**, before the Tribunal through Samadhan portal of the Ministry of Labour and Employment within ninety days from the date of the report under sub-rule (2).

(6) In case of an industrial dispute which has not been settled during the conciliation proceedings, an application may be made before the Tribunal by either of the parties concerned for adjudication. The Tribunal shall direct the party raising the dispute to file a statement of claim with complete details along with relevant documents, list of supporting documents and witnesses within thirty days from the date on which application is filed. A copy of such statement may be sent electronically or uploaded on the Samadhan portal for service on each of the opposite parties in the dispute.

(7) The Tribunal after ascertaining that the copies of statement of claim and other related documents are furnished to the other side by the party raising the dispute, the Tribunal shall fix the first hearing as soon as possible and within a period of one month from the date of receipt of the application. The opposite party or parties shall file their written statement together with supporting documents and the list thereof and list of witnesses, if any, within a period of thirty days from the date of first hearing and simultaneously forward a copy thereof to the opposite party or parties for service.

(8) Where the Tribunal finds that the party raising the dispute, despite its directions, did not forward the copy of the statement of claim and other documents to the opposite party or parties, it shall give directions to the concerned party to furnish the copy of the statement to the opposite party or parties, granting extension of fifteen days for filing the statement, if the Tribunal finds sufficient cause for not filing the statement of claim and other documents within time.

(9) Evidence shall be recorded either in Tribunal or, as the case may be, National Industrial Tribunal or may be filed on affidavit but in the case of affidavit the opposite party shall have the right to cross-examine each of the deponents filing the affidavit. Where the oral examination of each witness proceeds, the Tribunal or the National Industrial Tribunal, as the case may be, shall make a memorandum of the substance of what is being deposed. While recording the oral evidence the Tribunal or National Industrial Tribunal shall follow the procedure laid down in rule 5 of Order XVIII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(10) On completion of evidence, arguments may be heard immediately or a date may be fixed for arguments, which shall not be beyond a period of fifteen days from the closure of evidence.

(11) The Tribunal or National Industrial Tribunal, as the case may be, shall not ordinarily grant an adjournment for a period exceeding a week at a time, but not in any case more than three adjournments in all, at the instance of the parties to the dispute, shall be granted:

Provided that the Tribunal or the National Industrial Tribunal, as the case may be, for reasons to be recorded in writing, grant an adjournment exceeding a week at a time but not in any case more than three adjournments, at the instance of any one of the parties to the dispute, shall be granted.

(12) In case any party defaults or fails to appear at any stage, the Tribunal or National Industrial Tribunal, as the case may be, may proceed with the case ex-parte, and decide the application in the absence of the defaulting party:

Provided that the Tribunal or as the case may be, the National Industrial Tribunal may on the application of either party filed before the submission of the award, revoke the order that the case shall proceed ex- parte, if it is satisfied that the absence of the party was on justifiable grounds, and proceed further to decide the matter as contested.

(13) The Tribunal or the National Industrial Tribunal, as the case may be, shall communicate its Award electronically to the parties concerned and the Central Government and upload on the Samadhan portal within one month from the date of the pronouncement of the award.

(14) The Tribunal or National Industrial Tribunal may summon and examine any person whose evidence appears to it to be material for deciding the case and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345, 346 and 348 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (1 of 1974).

(15) Where assessors are appointed to advise a Tribunal or National Industrial Tribunal under sub-section (5) of section 49 in relation to proceeding before it, the Tribunal or National Industrial Tribunal shall obtain the advice of such assessors, but such advice shall not be binding on such Tribunals.

(16) A party in an award, who wants to obtain a copy of the award or other document, may obtain a copy of the award or other document after depositing the fee electronically in the Tribunal or National Industrial Tribunal, as the case may be, in the following manner, namely :-

- (a) fee for obtaining a copy of an award or the document filed in any proceedings of Tribunal or National Tribunal be charged at the rate of Rs. Two per page.
- (b) For certifying a copy of any such award or order or document, a fee of Re. Two per page shall be payable.
- (c) Copying and certifying fees shall be payable electronically.
- (d) Where a party applies for immediate delivery of a copy of any such award or document, an additional fee equal to one-half of the fee leviable under this rule shall be payable.

(17) The representatives of the parties appearing before a Tribunal or National Industrial Tribunal shall have the right of examination, cross-examination and of addressing the Tribunal or National Industrial Tribunal when evidence has been called.

(18) The proceedings before Tribunal or National Industrial Tribunal shall be held in open court:

Provided that the Tribunal or National Industrial Tribunal may direct any proceeding before it to be held by video conferencing.

Provided further that Tribunal or National Industrial Tribunal may at any stage direct that any witness shall be examined or its proceedings be held in-camera.

Chapter VII

STRIKES AND LOCK-OUTS

23. Number of persons by whom the notice of strike shall be given, the person or persons to whom such notice shall be given and the manner of giving such notice under sub-section (4) of section 62. - The notice of strike referred to in sub-section (1) of section 62 shall be given to the employer of an industrial establishment in **Form-VII** which shall be duly signed by the Secretary and five elected representatives of the registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing the copy thereof electronically or otherwise to the concerned conciliation officer, Chief Labour Commissioner (Central) and the Central Government.

24. Manner of giving notice of lock-out under sub-section (5) and authority under sub-section (6) of section 62. - (1) The notice of lock-out referred to in sub-section (2) of section 62 shall be given by the employer of an industrial establishment in **Form-VIII** to the Secretary of every registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing a copy thereof to the concerned conciliation officer, Chief Labour Commissioner (Central) and the Central Government electronically. The notice shall be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.

(2) If the employer of an industrial establishment receives from any person employed by him any notice of strike as referred to in sub-section (1) of section 62 then he shall within five days from the date of receiving of such notice, intimate the same electronically to the concerned conciliation officer and Chief Labour Commissioner (Central).

(3) If the employer gives to any person employed by him a notice of lock-out, then he shall within five days from the date of such notice, intimate electronically the same to the concerned conciliation officer and the Chief Labour Commissioner (Central).

Chapter VIII

LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE

25. Manner of serving notice before retrenchment of the worker under clause (c) of section 70. - If any employer desires to retrench any worker employed in his industrial establishment who has been in continuous service for not less than one year under him then, such employer shall give notice of such retrenchment, in **Form-IX** to the Central Government, and the concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central) through e-mail or, by registered or speed post.

26. Manner of giving an opportunity for re-employment to the retrenched workers under Section 72.- Where any vacancy occurs in an industrial establishment and there are workers of such industrial establishment retrenched within one year prior to the proposal for filling up such vacancy, then, the employer of such industrial establishment shall offer an opportunity at least 10 days before by registered post or speed post and through e-mail to such retrenched workers who are citizens of India. If such workers give their willingness for employment then, the employer shall give them preference over other persons in filling up of such vacancy.

27. Manner of serving notice by the employer for intended closure under sub-section (1) of section 74. — If an employer intends to close down an industrial establishment he shall give notice of such closure in **Form-IX** to the Central Government and a copy thereof to the concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central), by e-mail or registered post or speed post.

Chapter IX

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE IN CERTAIN ESTABLISHMENTS

28. Manner of making application to the Central Government by the employer for the intended lay-off and the manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of section 78.- An application for permission under sub-section (1) of section 78 shall be made by the employer in **Form- X** stating clearly therein the reasons for the intended lay off and a copy of such application shall be served simultaneously to the worker concerned electronically and by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance of the industrial establishment.

29. Manner for applying for permission from the Central Government to continue the lay-off under sub-section (3) of section 78.- The employer shall in case of an industrial establishment being a mine specified in sub-section (3) of section 78 where the workers (other than Badli workers or casual workers) have been laid-off under sub-section (1) of section 78 for reasons of fire, flood or excess of inflammable gas or explosion, within a period of thirty days from the date of commencement of such lay-off, apply to the Central Government in **Form – X** electronically and by registered or speed post with a copy to the concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central) for permission to continue the lay-off specifying the number of days; intimating the number of workers to be laid off, the total number of workers employed in the industrial establishment, the date of layoff and the reasons for continuation of such lay off.

30. Time-limit for review under sub-section (7) of section 78.- The Central Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (4) of the section 78 within a period of thirty days from the date on which such order is made.

31. Manner of making application to the Central Government by the employer for the intended retrenchment and manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of section 79.- An application for permission referred to in sub-section (1) of section 79 shall be made by the employer in **Form- X** stating clearly therein the reasons for the intended retrenchment electronically and a copy of such application shall also be sent to workers electronically and by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.

32. Time-limit for review under sub-section (6) of section 79.- The Central Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (3) of section 79 within a period of thirty days from the date on which such orders is made.

33. Manner of making application to the Central Government by the employer for intended closing down of an industrial establishment and the manner of serving copy of such application to the representatives of workers under sub-section (1) of section 80.- An employer who intends to close down an industrial establishment to which Chapter X of the Code applies shall apply electronically in **Form X** for prior permission at least ninety days before the date on which intended closure is to become effective to the Central Government, stating clearly therein the reasons for the intended closure of the industrial establishment and simultaneously a copy of such application shall also be sent to the representatives of the workers electronically and by registered post or speed post.

34. Time-limit for review under sub-section (5) of section 80.- The Central Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (2) of section 80 within a period of thirty days from the date on which such order is made.

Chapter X

WORKER RE-SKILLING FUND

35. Manner of utilization of fund under sub-section (3) of section 83.- Every employer who has retrenched a worker or workers under this Code, shall, within ten days, at the time of retrenching a worker or workers shall electronically transfer an amount equivalent to fifteen days of last drawn wages of such retrenched worker or workers in the account (name of the account shall be displayed on the website of the Ministry and Chief Labour Commissioner (Central)) to be maintained by the Central Government. The fund so received shall be transferred by the Central Government to each worker or workers' account electronically within forty five days of receipt of funds from the employer and the worker shall utilize such amount for his re-skilling. The employer shall also submit the list containing the name of each worker retrenched, the amount equivalent to fifteen days of wages last drawn in respect of each worker along with their bank account details to enable the Central Government to transfer the amount in their respective account.

Chapter XI

OFFENCES AND PENALTIES

36. Manner of composition of offence by a Gazetted Officer specified under sub-section (1) of section 89 and the manner of making application for the compounding of an offence specified under sub-section (4) of section 89.-

(1) The officer notified by the Central Government for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 89 (hereinafter referred to as the compounding officer), shall in the offences in which prosecution is not instituted, if the compounding officer is of the opinion that any offence under the Code for which the compounding is permissible under section 89, he shall send a notice through Samadhan Portal to the accused in **Form XI** consisting of three parts. In part I of such Form, the compounding officer shall inter-alia specify the name of the offender and his other particulars, the details of the offence and in which section the offence has been committed, the compounding amount required to be paid towards the composition of the offence. Part II of the Form shall specify the consequences if the offence is not compounded and part III of the Form shall contain the application to be filed by the accused if he desires to compound the offence. Each notice shall have a continuous unique number containing alphabets or numeric and other details such as officer sending notice, year, place, type of inspection for the purpose of easy identification.

(2) The accused to whom the notice referred to in sub-rule (1) is served, may send the part III of the Form duly filled by him to the compounding officer electronically and deposit the compounding amount electronically or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice, in the account specified by the compounding officer in the notice.

(3) Where the prosecution has already been instituted against the accused in the competent Court, he may make an application to the Court to compound the offence against him and the Court, after considering the application, may allow composition of the offence by the compounding officer in accordance with provisions of section 89.

(4) If the accused complies with the requirement of sub-rule (2), the compounding officer shall compound the offence for the amount of money deposited by the accused and-

(a) if the offence is compounded before the prosecution, then no complaint for prosecution shall be instituted against the accused; and

- (b) if the offence is compounded after institution of prosecution under sub-rule (3) with the permission of the Court, then, the compounding officer shall treat the case as closed as if no prosecution had been launched and will proceed in accordance with composition as under clause (a) and intimate the composition of offence to the competent Court in which the prosecution is pending and after receiving such intimation, the Court shall discharge the accused and close the prosecution.

(5) The compounding officer shall exercise the powers to compound the offence under this rule, subject to the direction, control and supervision of the Central Government.

Chapter XII

MISCELLNEOUS

37. Protected workers under sub-section (3) and (4) of section 90.—

(1) Every registered Trade Union connected with an industrial establishment, to which the Code applies, shall communicate to the employer before the 30th April of every year, the names and addresses of such of the officers of the Union who are employed in that establishment and who, in the opinion of the Union should be recognised as “protected workers”. Any change in the incumbency of any such officer shall be communicated to the employer by the union within fifteen days of such change.

(2) The employer shall, subject to sub-section (3) and sub-section (4) of section 90, recognise such workers to be “protected workers” for the purposes of section 90 and communicate to the Union, in writing, within fifteen days of the receipt of the names and addresses under sub-rule (1), the list of workers recognised as protected workers for the period of twelve months from the date of such communication.

(3) Where the total number of names received by the employer under sub-rule (1) exceeds the maximum number of protected workers, admissible for the industrial establishment, under sub-section (4) of section (90), the employer shall recognise as protected workers only such maximum number of workers:

Provided that where there is more than one registered Trade Union in the industrial establishment, the maximum number shall be so distributed by the employer among the Unions that the numbers of recognised protected workers in individual Unions bear practicably by the same proportion to one another as the membership figures of the Unions. The employer shall in that case intimate in writing to the President or the Secretary of the each concerned Union the number of protected workers allotted to it:

Provided further that where the number of protected workers allotted to a Union under this sub-rule falls short of the number of officers of the Union seeking protection, the union shall be entitled to select the officers to be recognised as protected workers. Such selection shall be made by the Union and communicated to the employer within five days of the receipt of the employer’s letter in this regard.

(4) When a dispute arises between an employer and any registered Trade Union in any matter connected with the recognition of ‘protected workers’ under this rule, the dispute shall be referred to the any Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or Regional Labour Commissioner (Central) or Assistant Labour Commissioner (Central) concerned, whose decision thereon shall be final.

38. Manner of making complaint by an aggrieved worker under section 91.- (i) Every complaint under section 91 of the Code shall be made electronically and by registered post or speed post in **Form-XII** and shall be accompanied by as many copies as there are opposite parties mentioned in the complaint.

(ii) Every complaint under sub-rule (1) shall be verified by the worker making the complaint or by authorized representative of the worker proved to the satisfaction of the conciliation officer, arbitrator, Tribunal or the National Industrial Tribunal, as the case may be, to be acquainted with the facts of the case.

39. Manner of authorization of worker for representing in any proceeding under sub-section (1) of section 94.- Where the worker is not a member of any Trade Union, then, any member of the executive or other office-bearer of any Trade Union connected with or by any other worker employed in the industry in which the worker is employed may be authorized by such worker to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the worker is a party in **Form-IV**.

40. Manner of authorization of employer for representing in any proceeding under sub-section (2) of Section 94.- Where the employer, is not a member of any association of employers, may authorize in **Form-IV** an officer of any association of employers connected with, or by any other employer engaged in, the industry in which the employer is engaged to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the employer is a party.

41. Manner of holding an enquiry under sub-section (1) of section 85.-

Complaint .— (1) On receipt of a complaint of the offence committed under sub-sections (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) and (20) of section 86 and sub-section (7) of section 89, the same shall be enquired by an officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India under sub-section (1) of section 85 (hereinafter referred to as the enquiry officer).

(2) Issue of Notice .— If the complaint filed is admitted by the Enquiry officer, he shall call upon the person or persons through a notice to be sent electronically and a copy of the same to be posted on Samadhan Portal to appear before him on a specified date together with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the complainant of the date so specified.

(3) If the person or his representative fails to appear on the specified date, the Enquiry Officer may proceed to hear and determine the complaint ex-parte.

(4) If the complainant fails to appear on the specified date without any intimation to the Enquiry officer on two consecutive dates, the complaint may be dismissed .

Provided that not more than three adjournments may be given on the joint application made by complainant and the opposite party.

Provided further that the enquiry officers shall at his discretion permit hearing the parties or any of the party, as the case may be, through video conferencing.

(5) Authorisation.—The authorisation to appear on behalf of any person, under section sub-section (2) of section 85 shall be given by a certificate or electronic certificate, as the case may be, which shall be presented to the Enquiry Officer during the hearing of the complaint and shall form part of the record.

(6) Permission to appear.—Any person who intends to appear in the proceeding on behalf of complainant shall present before the Enquiry Officer and submit a brief written statement explaining the reason for his appearance. The Enquiry officer shall record an order on the statement and in the case of refusal shall include reasons for the same, and incorporate it in the record.

(7) Presentation of documents.— Complaint or other documents relevant to the complaint may be presented in person to the Enquiry Officer at any time during hours fixed by the Enquiry Officer, or may be sent to him electronically or by registered post or speed post.

(8) The Enquiry Officer shall endorse, or cause to be endorsed, on each document the date of the presentation or receipt, as the case may be. If the documents have been submitted electronically, no such endorsement shall be necessary.

(9) Refusal to entertain complaint .—

(i) The Enquiry Officer may refuse to entertain a complaint presented under sub-section (1) of section 85 if after giving the complainant an opportunity of being heard, the Enquiry Officer is satisfied, for reasons to be recorded in writing that—

(a) the complainant is not entitled to present the complaint; or

(b) the complainant is barred by limitation under the provisions of this Code

(c) the complainant fails to comply the directions given by the Enquiry Officer under sub-section (2) of section 85.

(ii) The Enquiry Officer may refuse to entertain complaint which is otherwise incomplete. He may ask complainant to rectify the defects and if the Enquiry Officer thinks that the complaint cannot be rectified he may return the complaint indicating the defects and, if he, so refuses shall return it at once indicating the defects. If the complaint is presented again, after the defects have been rectified, the date of representation shall be deemed to be the date of presentation for the purpose of sub-section (1) of section 85.

(10) Record of proceedings.— The Enquiry Officer shall in all cases mention the particulars at the time of passing of order containing the details, i.e., date of complaint, name and address of the complainant, name and address of the opposite party or parties, section-wise details of the offence committed, plea of the opposite party, findings and brief statement of the reason and penalty imposed with signature, date and place.

(11) Exercise of powers.—In exercise of the powers of a Civil Court, conferred under the Code of Civil Procedure, 1908, the Enquiry Officer shall be guided in respect of procedure by relevant orders of the First Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908, with such alterations as the Enquiry Officer may find necessary, not affecting their substance, for adapting them to the matter before him, and save where they conflict with the express provisions of this Code or these rules.

(12) Order or direction when to be made.—The Enquiry Officer, after the case has been heard, shall make the order or direction on a future date to be fixed for this purpose.

(13) Inspection of documents.—Any person, who is either a complainant or an opposite party or his representative, or any person permitted under sub-rule (3) shall be entitled to inspect any complaint, or any other document filed with the Enquiry Officer be, in a case to which he is a party .

42. Submission of a copy each of the Form to the office of Director General, Labour Bureau under clause (zzf) of sub-section 2 of section 99. – A copy each of Form VII (notice of strike), Form VIII (notice of lockout), Form IX (notice for intimation of retrenchment or closure to the Central Government), Form X (Application for permission of lay-off or retrenchment or closure), and Form XI (compounding of offences), shall be shared electronically with Director General, Labour Bureau in auto-mode.

Form-I

(See Rule 2)

(Memorandum of settlement arrived at during conciliation/ or settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding)

Names of Parties:

..... Representing employer(s);

..... Representing workers;

Short recital of the case

.....

Terms of settlement

.....

Signature of the parties

Witnesses:

(1)

(2)

*Signature of Conciliation Officer

In case the settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding the copy of the memorandum shall be marked to the concerned Deputy chief Labour Commissioner (c).

FORM-II

(See Rule 16)

(Notice of change of service conditions proposed by an employer)

Name of employer.....

Address.....

Dated the day of 20.....

In accordance with section 40(1) of Industrial Relation code I/We hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect the change/changes specified in the annexure, with effect from in the conditions of service applicable to workers in respect of the matters specified in the Third Schedule to this code

Signature.....

Designation

ANNEXURE

(Here specify the change/changes intended to be effected)

Copy forwarded to:

1. The Secretary of registered Trade Union, if any.
2. Concerned Deputy Chief Labour commissioner.

FORM-III**(Agreement for voluntary arbitration)****(See Rule 17)****BETWEEN**

.....Name of the parties representing employer (s)

And

.....Representing worker

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of
[here specify the name(s) and address(es) of the arbitrator (s).

- (i) Specific matters in dispute.
- (ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.
- (iii) Name of the worker in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the worker or workers in question.
- (iv) Total number of workers employed in the undertaking affected.
- (v) Estimated number of workers affected or likely to be affected by the dispute.

*We further agree that the majority decision of the arbitrators) shall be binding on us in case the arbitrator(s) are equally divided in their opinion they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding on us.

The arbitrator (s) shall make his (their) award within a period of (here specify the period agreed upon by the parties) from the date of publication of this agreement in the Official Gazette by the central Government or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case, the award is not made within the period afore mentioned, the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitrator.

Signature of the parties Representing employer] Representing worker/ workers.

Witnesses

1.

2.

Copy to: (i) The Conciliation Officer [here enter office address of the Conciliation Officer for the area concerned]. .

(ii) The Secretary to the Government of India, Ministry of Labour.

FORM-IV**(See Rule 19, Rule 39 and Rule 40)**

(Authorization by a worker, group of worker, employer, group of employer to be represented in a proceeding before the authority under this Code).

Before the Authority

(Here mention the authority concerned)

In the matter of: (mention the name of the proceeding)

.....workers

VersusEmployer

I/we hereby authorise Shri / Sarvashri (if representatives are more than one) 1.....2.....3..... to represent me/us in the above matter.

Dated this.....day of.....20.....

Signature of person(s) nominating the representative(s)

Address Accepted

FORM-V**(See Rule 20 and 21)****Form of Oath of Office for Judicial Member or Administrative Member (whichever is applicable) of National Industrial Tribunal**

I, A, B., having been appointed as Judicial Member/Administrative Member (whichever is applicable) of National Industrial Tribunal (Name of the Tribunal) do solemnly affirm/ do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Judicial Member/Administrative Member of National Industrial Tribunal (Name of the Tribunal) to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of the land.

(Signature)

Place:

Date:

FORM-VI**(See Rule 22)**

(Application to be submitted before the Tribunal in the matter not settled by the Conciliation Officer)

Before..... (here mention the name of the Tribunal having jurisdiction over the area)

In the matter of:

..... Applicant

Address.....

Versus

..... Opposite party (ies)

Address.....

The above mentioned applicant begs to state as follows :-

(Here set out the relevant facts and circumstances of the case).

The applicant prays that the instant dispute may please be admitted for adjudication and request to pass appropriate Award.

Date

Place

Form-VII**(See Rule 23)****(Notice of Strike to be given by Union(Name of Union)/ Group of Workers)**

Name of five elected representatives of workers.....

Dated the.....day of.....20.....

To

(The name of the employer).

Dear Sir/Sirs,

In accordance with the provisions contained in sub-section (1) of section 62 of the Industrial Relation code I/We hereby give you notice that I propose to call a strike / we propose to go on strike on20....., for the reasons explained in the annexure.

Yours faithfully,

(Secretary of the Union)

Five representatives of the workers duly elected at a meeting held on (date), vide resolution attached.]

ANNEXURE**Statement of the Case.**

Copy to;

- 1) Deputy Chief Labour Commissioner (Central), of the concerned area .
- 2) Chief Labour Commissioner (central) New Delhi

FORM-VIII**(See Rule 24)**

(Notice of Lock-out to be given by an employer of an industrial establishment)

Name of employer

Address.....

Dated the.....day of.....20.....

In accordance with the provisions of 62(6) of this code, I/we hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect lock out in.....department(s), section(s) of my/our establishment with effect from.....for the reasons explained in the annexure.

Signature.....

Designation.....

ANNEXURE

1.	Statement of reasons
-----------	-----------------------------

Copy forwarded to:

- (1) The Secretary of the Registered Union, if any
- (2) Conciliation officer [Here enter office address of the Assistant Labour Commissioner / Regional Labour commissioner/ Deputy Chief Labour commissioner (Central) of the concerned area.]
- (3) Chief Labour Commissioner (central) New Delhi
- (4) To the office of DG Labour Bureau.

Form- IX

(See Rule 25 and 27)

(Notice of Intimation of Retrenchment/ Closure to be given by an employer to the Central Government under the provisions of Chapter IX of the Industrial Relations Code, 2020 and rules made there under)

(To be submitted online. In case of exigencies, on paper in the prescribed format below)

Name of Industrial Establishment /Undertaking/ Employer.....

Labour Identification Number

Dated..... (Note: The intimation for Closure/Retrenchment to the appropriate government shall be served 60 days and 30 days before commencement of Closure/Retrenchment respectively)

To,

The Secretary to the Government of India,

Ministry of Labour & Employment

New Delhi

1. *(Retrenchment) (a) Under Section 70(C) of this Code, I/ we* hereby intimate you that I*/we* have decided to retrench..... workers** out of a total of Workers** with effect from..... (DD/MM/YYYY)

or

(Closure) (b) Under Section 74(1) of this Code, I / we hereby intimate you that I*/we* have decided to close down,.....(name of the industrial establishment or undertaking) with effect from..... (DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is..... (number of workers)

2. The reason for Retrenchment / Closure is

3. * The worker(s)* concerned were given on the..... (DD/MM/YYYY) one month's notice in writing as required under section 70(a)*/ section 75(1)* of this Code.

or

* The worker(s) concerned have been given on the..... (DD/MM/YYYY) one month's pay in lieu of the notice as required under section 70(a)*/ section 75(1)* of this Code.

4. * I*/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all their dues along with the compensation due to them under section 70* / section 75* of this Code before or on the expiry of the notice period.

or

I/We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I*/we* will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws.

5. (Retrenchment) I/we* hereby declare that the worker(s) concerned have been* / will be* retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of this Code.

6. I*/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been Annexed.
7. I*/ we* hereby declare that the above information given by me*/us* in this notice and the Annexures is true, I*/ we* am*/ are* solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter.

Yours faithfully,

(Name of Employer/ ***Authorized Representative
with Seal)

(* Strike off which is not applicable.)

(** Indicate number in figures and words both)

(***Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed)

Copy to :

- (1) To the Office of DG Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, (Only for statistical purpose.)
- (2) DY. Chief Labour Commissioner (Central) of the concerned area.
- (3) To the Registered Unions/ Authorised Representatives of Workers operating in the establishments or undertakings.

FORM – X

[See Rule 28, 29, 31 and 33]

[Application for permission of Lay-off/ Continuation of Lay-off/ Retrenchment/ Closure to be given by an employer / Industrial establishment /Undertaking to the Central Government under the provisions of Chapter X of the Industrial Relations Code, 2020 and rules made there under]

(To be submitted online. In case of exigencies on paper in the prescribed format below)

Name of Industrial Establishment or Undertaking or Employer.....

Labour Identification Number.....

Dated.....

(Note: The application to the Central Government shall be served as indicated below:

Lay-off : at least 15 days before the intended Lay-off

Continuation of Lay-off – at least 15 days before the expiry of earlier Lay-off

Retrenchment – at least 60 days before the intended date of Retrenchment

Closure – at least 90 days before the intended date of Closure)

To,

The Secretary to the Government of India,

Ministry of Labour & Employment

New Delhi

1. *(Lay-off) (a). Under section 78(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we* hereby apply for "permission to lay-offworkers** out of total of workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annex-1) with effect from (DD/MM/YYYY).

or

(Continuation of lay-off) (b) Under section 78(3) of the Industrial Relations Code, 2020, I/we* hereby apply for permission to continue the Lay-offworkers** out of total of laid off workers** in my*/our* establishment (details to be given in Annex-1) with effect from (DD/MM/YYYY).

or

(Retrenchment) (c) Under section 79(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I/we* hereby apply for permission for intended retrenchment of..... workers out of total of workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annex-1) with effect from (DD/MM/YYYY).

or

(Closure) (d) Under section 80(1) of the Industrial Relations Code, 2020, I / we hereby inform you that I*/we* intended to close down the undertaking..... (name of the industrial establishment or undertaking or employer) (details to be given in Annex-1) with effect from..... (DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is..... (number of workers)

2. * (Lay-off/Continuation of Lay-off) The worker(s) concerned were given on (DD/MM/YYYY) notice in writing as required under section 78(2)*/ section 78(3)* of this Code.

or

(Retrenchment/ Closure) The worker(s) concerned were given on..... (DD/MM/YYYY) one month's notice in writing as required under section 79/ section 80* of this Code.

or

(Retrenchment/ Closure) The worker(s) have been given on..... (DD/MM/YYYY) one month's pay in lieu of notice as required under section 79/ section 80* of this Code.

3. The details of affected worker(s) is at Annexure II.

4. (Retrenchment) I*/we* hereby declare that the workers concerned will be retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of this Code.

5. *I/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all the dues and compensation due to them under section 67, read with section 78(10)*/ section 79* / section 80* of this Code before or on the expiry of the notice period.

or

I/We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I/we* will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws.

6. I/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been Annexed.

7. I/ we hereby declare that the above information given by me/ us* in this notice and enclosures is/ are* true, I/ we am/ are solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter.

The permission sought for may please be granted.

Yours faithfully,

(Name of Employer/ ***Authorised Representative
with Seal)

(* Strike off which is not applicable.)

(** Indicate number in figures and word both)

(***Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed)

ANNEXURE I

(Please give replies against each item)

1	Name of the undertaking with complete postal address, email, mobile and land line.	
2	Status of undertaking— (i) Whether Central public sector/State public sector/ etc, (ii) Whether a private limited company/ partnership firm/ partnership firm (ii) Whether the undertaking is Licensed/registered and if so, name of licensing/ registration authority and licence/registration certificate numbers.	
3	(a) MCA Number	
	(b) GSTN Number	
4	(i) Annual production, item wise for preceding three years- (ii) Production figures, month-wise, for the preceding twelve months,	
5	Audit report of establishment/ undertaking including Balance sheets, profit and loss accounts for the last three years.	To be annexed
6	Names of the inter-connected companies or companies under the same management.	
7	Details of lay-off/ Retrenchment resorted to in the last three years including the periods of such lay-offs/ Retrenchment the number of workmen involved in each such lay-off/ Retrenchment / continuation of lay off	
8	Any other relevant details which have bearing on lay-off/ continuation of lay off/ retrenchment/ closure.	

ANNEXURE II

(Details of affected workers)

Sl. No	UAN/ CMPFO	Name of the Worker	Category (Highly Skilled / Skilled/ Semi-skilled / Unskilled)	Date from which in service in/with the said establishment /Undertaking/ Employer	Wage as on date of Application	Remark
1						
2						
3						

FORM -XI

(See Rule 36)

Notice to the Employer who committed an offence for the first time under this code, for compounding of offence under sub-section (4) of section 89,

The undersigned and the Compounding Officer under sub-section 1 of section 89 of the Industrial Relation Code, 2020 hereby intimates that the allegation has been made against you for committing offence for the violation of various provision of this Code as per the details given below;-

PART - I

1. Name and Address of the offender Employer-
2. Address of the Establishment
4. Particulars of the offence
5. Section of the Code under which the offence is committed
.....
6. Compounding amount required to be paid towards composition of the offence.....

PART – II

You are advised to deposit the above mentioned amount within fifteen days from the date of issue of this notice for compounding the offence as per section 89 (1) of the Industrial Relation Code, 2020, alongwith an application dully filled in part – III of this notice.

In case you fail to deposit the said amount within the specified time, no further opportunity shall be given and necessary direction for filing of prosecution under section ---- shall be issued.

(Signature of the Compounding Officer)

Date:

Place:

PART – III**Application under sub-section (4) of section 89 for compounding of offence**

1. Name of applicant (name of the employer who committed the offence under the Industrial Relation Code 2020 to be mentioned).....
2. Address of the applicant
3. Particulars of the offence
.....
4. Section of the Code under which the offence has been committed
.....
5. Details of the compounding amount deposited (electronically generated receipt to be attached).....
6. Details of the prosecution, if filed for the violation of above mentioned offences may be given
.....
7. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence
.....
.....
.....
8. Any other information which the applicant desires to provide
.....
.....
.....

Applicant
(Name and signature)

Dated:

Place:

FORM –XII**(See Rule 38)**

(Complaint under Section 91 of the Industrial Relation Code, 2020)

Before the Conciliation officer/ Arbitrator/ Tribunal or, National Tribunal -----,

In the matter of :..... Reference No.....

A..... Complainant(s);

Versus

B..... Opposite Party(ies).

Address:

The petitioner(s) begs/beg to complain that the Opposite Party(ies) has/have been

guilty of a contravention of the provisions of section 90 of the Industrial Relation code, as shown below:

(Here set out briefly the particulars showing the manner in which the alleged contravention has taken place and the grounds on which the order or act of the management is challenged.)

The complainant(s) accordingly prays/pray that the Conciliation officer/ Arbitrator/ Industrial Tribunal or National Tribunal may be pleased to decide the complaint set out above and pass such order or orders thereon as it may deem fit and proper.

The number of copies of .the complaint and its annexure required under rule 91 of the Industrial Relation Code are submitted herewith.

Dated this.....day of.....20..... Signature of the Complainant(s)

Verification

I do solemnly declare that what is stated in paragraph..... above is true to my

knowledge and that what is stated in paragraphs..... above is stated upon information received and believed by me to be true. This verification is signed by me at..... onday of.....20.....

Signature

or Thumb impression of the person verifying.

[F. No. Z-20025/26/2015-LRC]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.